संशोधित संस्करण 2026

द लेक्सिकन

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा व अभिरुचि

सिविल सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र IV के पाठ्यक्रम व बदलती प्रवृत्ति के अनुरूप

2019 से टॉपर्स द्वारा पठित व अनुमोदित
विगत वर्षों में 90 प्रतिशत से अधिक प्रश्न इस पुस्तक से पूछे गए

वास्तविक जीवन-स्थितियों में नीतिशास्त्रीय सिद्धांतों के व्यावहारिक अनुप्रयोगों के साथ अवधारणाओं की प्रभावी प्रस्तुति, व्यापक संशोधन व अद्यतन दृष्टिकोण के साथ

CHRONICLE
Nurturing Talent Since 1990

संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण 2026

द लेक्सिकन

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा व अभिरुचि

❑ अवधारणा ❑ सिद्धांत ❑ केस स्टडी ❑ मुद्दे ❑ शब्दावलियां

संघ एवं राज्य सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र IV के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित

संपादक

एन. एन. ओझा

(सिविल सेवा परीक्षाओं के मार्गदर्शन में 36 वर्षों का अनुभव)

लेखन एवं प्रस्तुति

क्रॉनिकल संपादकीय समूह

CHRONICLE

Nurturing Talent Since 1990

संवाद

हमें आपके समक्ष "द लेक्सिकन: नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा व अभिरुचि" पुस्तक का अष्टम संशोधित संस्करण प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। यह पुस्तक संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा (CSE), विशेष रूप से सामान्य अध्ययन पेपर-IV (नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा व अभिरुचि) की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की सहायता हेतु सावधानीपूर्वक तैयार किया गया एक संग्रह है। यह विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं तथा अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है, जिनके पाठ्यक्रम में नीतिशास्त्र शामिल है।

हम सामान्य अध्ययन पेपर-IV के लिए अध्ययन एवं मार्गदर्शन के प्राथमिक स्रोत के रूप में लेक्सिकन पर आपके निरंतर विश्वास के लिए आभारी हैं। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए, पिछले कुछ वर्षों में, यह पुस्तक परीक्षा की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए उत्तरोत्तर खुद को ढाल रही है। इस संस्करण में UPSC की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में परिलक्षित रुझानों को ध्यान में रखते हुए इस परंपरा को जारी रखा गया है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र IV में प्रश्नों की बदलती प्रकृति

प्रश्न-पत्र में उभरते रुझान यह संकेत देते हैं कि अब प्रश्नों का स्वरूप अधिक अंतरविषयी होता जा रहा है, जिसमें डिजिटल युग की चुनौतियों, युद्ध और कूटनीति की नई प्रवृत्तियों, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा पर्यावरणीय संकटों जैसे महत्वपूर्ण समकालीन पहलुओं का समावेशन बढ़ रहा है। महावीर, विलियम जेम्स आदि जैसे दार्शनिकों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नैतिक शासन के प्रमुख पहलुओं के संबंध में सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर नवीनीकृत तरीके से ध्यान केंद्रित करते हैं।

केस स्टडीज में, नैतिक दुविधाओं की स्थितियों को हल करने पर जोर दिया गया है, जिसके लिए विभागीय कार्यप्रणाली, कल्याणकारी योजनाओं, संघर्षों के दौरान मानवीय स्थितियों को संभालने आदि के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है।

इस संस्करण में नया क्या है?

यह नया संस्करण पुनर्गठित एवं परिष्कृत सामग्री के माध्यम से इन उभरते रुझानों के अनुकूल पुनर्संरेखित किया गया है, जिसमें शैक्षणिक संरचना में महत्वपूर्ण संशोधन तथा सामग्री का सुविचारित पुनर्संयोजन सम्मिलित है। बेहतर वैचारिक स्पष्टता के लिए प्रमुख नीतिशास्त्रीय शब्दों, अवधारणाओं तथा सिद्धांतों को सरलीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो नीतिशास्त्रीय शब्द समान एवं भ्रमित करने वाले हैं, उन्हें सटीक रूप से पृथक रूप में परिभाषित किया गया है ताकि आपको स्पष्ट समझ प्राप्त हो सके। बेहतर समझ एवं विचारों के अनुप्रयोग हेतु विषय वस्तु के तार्किक क्रम को बनाए रखने के लिए अध्यायों को व्यवस्थित रूप से संशोधित किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता से संबंधित विभिन्न विचारों तथा चर्चाओं को विभिन्न अध्यायों में शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून, राज्य अभिकर्ताओं से संप्रभुता के समक्ष खतरे, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की उपेक्षा, मानवाधिकार संबंधी मुद्दे, मूल निवास संबंधी चर्चाएं, भारत का परमाणु सिद्धांत आदि जैसे विषयों को शामिल किया गया है।

इसके अलावा, जलवायु न्याय, बौद्धिक संपदा अधिकार, अंगदान एवं तस्करी, पोर्नोग्राफी आदि जैसे समकालीन नीतिगत तथा नैतिक विषयों को भी समाविष्ट किया गया है, ताकि इन पर तार्किक व नैतिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया जा सके। इस संस्करण में भारत एवं विश्व भर के कई महान नेताओं, प्रशासकों तथा सुधारकों के जीवन से संबंधित मानवीय मूल्यों की सीख को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है, ताकि पाठकों में नैतिक प्रेरणा के बारे में एक संपूर्ण समझ विकसित हो सके।

महावीर, तिरुवल्लुवर, गुरु नानक, रवींद्रनाथ टैगोर, मार्कस ऑरेलियस, हेलेन केलर जैसे विचारकों के उद्धरण शामिल किए गए हैं ताकि पाठकों को अलग-अलग विचारों से परिचित कराया जा सके। इससे, समान प्रकृति के प्रश्नों को समझने और विश्लेषित करने की क्षमता सुदृढ़ होगी।

इस संस्करण में शामिल अद्यतन उदाहरणों तथा तथ्यों का उद्देश्य निर्णयों और आकलनों में अधिक वस्तुनिष्ठता तथा संतुलन के लिए नैतिक निर्णयों का एक अनुभवजन्य आधार विकसित करना है।

सैद्धांतिक ज्ञान से परे: नैतिक क्षमता का निर्माण

नीतिशास्त्र को समझने तथा परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है; इसके लिए नैतिक सिद्धांतों को आत्मसात करने तथा उन्हें वास्तविक जीवन-स्थितियों में लागू करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, नैतिक मुद्दों के प्रति एक समग्र एवं बहुआयामी दृष्टिकोण विकसित करने के लिए UPSC पाठ्यक्रम में अलग-अलग विषयों और प्रश्न-पत्रों के लिए एक अंतरविषयी और परस्पर संबद्ध दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है। गतिशील नैतिक समस्याओं तथा चुनौतियों के बारे में बेहतर जागरूकता के लिए समकालीन मुद्दों और समसामयिक मुद्दों के बारे में अद्यतन रहना भी महत्वपूर्ण है। इस संस्करण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र न केवल मुख्य नीतिशास्त्रीय अवधारणाओं को समझें, बल्कि समालोचनात्मक सोच भी विकसित करें तथा शासन में नैतिक दुविधाओं को हल करने हेतु आवश्यक सही दृष्टिकोण से युक्त हों।

क्रॉनिकल संपादकीय टीम ने अपने समृद्ध अनुभव तथा व्यापक अनुसंधान के साथ, इस पुस्तक को परिवर्तनशील परीक्षा रुझानों तथा समकालीन चुनौतियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए सावधानीपूर्वक संशोधित किया है। इस संस्करण का उद्देश्य केस स्टडी को हल करने के लिए एक नैतिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करते हुए GS पेपर-IV में दक्षता हासिल करने के लिए एक समग्र एवं विश्वसनीय अध्ययन स्रोत के रूप में कार्य करना है।

हमें उम्मीद है कि यह पुस्तक एक नैतिक एवं सक्षम सिविल सेवक बनने की आपकी यात्रा में एक अनिवार्य संसाधन के रूप में कार्य करेगी। पुस्तक में सुधार एवं संशोधन के संबंध में आप अपने सुझाव editor@chronicleindia.in पर भेज सकते हैं।

आपकी तैयारी और सफलता के लिए शुभकामनाएं!

- एन.एन. ओझा (संपादक)

अनुक्रमणिका

1. लेक्सिकन ऑफ केस स्टडी 01–14

- **केस स्टडी क्या है?** 2
- **केस स्टडी के प्रकार** 2
  1. व्याख्यात्मक केस स्टडी 3
  2. अन्वेषी केस स्टडी 4
  3. संचयी केस स्टडी 6
  4. गंभीर उदाहरण केस स्टडी 7
- **केस स्टडी प्रारूप पर संक्षिप्त विवरण** 8
  - केस स्टडी को हल करने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण 8
- **केस स्टडी में शामिल हितधारक** 10
  - केस स्टडी की व्याख्या 13

2. केस स्टडी: पूर्वावलोकन एवं संक्षिप्त विश्लेषण 15–42

- **विगत वर्ष के प्रश्न-पत्र का सामान्य अवलोकन** 16
  - केस-स्टडी संबंधित प्रश्नों का अवलोकन 16
- **केस स्टडी** 16

3. नीतिशास्त्र, मूल्य एवं नैतिकता 43–86

- **नीतिशास्त्र की अवधारणा** 44
  - नीतिशास्त्र का विकास 46
  - नीतिशास्त्र का क्षेत्र 50
  - नीतिशास्त्र और अन्य विज्ञान 50
  - नीतिशास्त्र की अन्य अवधारणाओं से भिन्नता 51
  - नीतिशास्त्रीय मानक 52
  - शासन में नीतिशास्त्र के निर्धारक 55
  - नीतिशास्त्र में मानवकर्म 56
  - नीतिशास्त्र की शाखाएं अथवा आयाम 56
- **व्यावहारिक नीतिशास्त्र के विभिन्न क्षेत्र** 59
  - राजनीतिक नीतिशास्त्र 59
  - सैन्य नीतिशास्त्र 60
  - युद्ध नीतिशास्त्र 60
  - पर्यावरणीय नीतिशास्त्र 62
  - परिस्थितिजन्य नीतिशास्त्र 64
  - सामाजिक नीतिशास्त्र 64
- **नैतिकता** 65
  - नैतिकता बनाम नीतिशास्त्र 66
  - नैतिकता, नैतिक मूल्य और नीतिशास्त्र 67
  - नैतिक निर्णय 70
  - नैतिक चरित्र या आचरण 71
  - नैतिक जिम्मेदारी 72
  - नैतिक विवेक 72
  - नैतिक अंतर्ज्ञान 73
  - नैतिक अंतर्दृष्टि 73
  - नैतिक तर्कशक्ति 74
  - नैतिक व्यवहार 75
  - नैतिकता-विहीन, अनैतिक और अनभिप्रेत-अनैतिक कार्य के बीच अंतर 77

➢ **मूल्य 78**
- मानवीय मूल्य...............78
- मूल्यों का वर्गीकरण...............80
- सामाजिक मूल्य...............81
- नैतिक मूल्य अथवा मान्यताएं 82
- आधारभूत मानवीय मूल्य...............84
- मूल्यों का समाजशास्त्रीय महत्व...............86

4. नीतिशास्त्र और मानवीय सह–संबंध 87–112

➢ **मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम 88**
- मानवीय क्रियाएं...............88
- मानव क्रियाकलाप में नीतिशास्त्र 89
- मानवीय क्रियाकलाप में बाधाएं...............90
- मानवीय क्रियाओं में नैतिकता का महत्व 92
- दोहरे प्रभाव का सिद्धांत...............93
- मानवीय क्रियाकलापों के नैतिकता का निर्धारक...............94

➢ **निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र...............95**
- निजी संबंधों में नीतिशास्त्र...............96
- सार्वजनिक जीवन में नैतिकता...............98

➢ **मानवीय मूल्य-महान नेताओं, सुधारकों व प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा...... 100**
- महान नेताओं के जीवन से शिक्षा...............100
- महान प्रशासकों के जीवन से शिक्षा...............101
- महान सुधारकों के जीवन से शिक्षा...............102

➢ **मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका...............102**
- परिवार व मूल्य विकास...............104
- समाजीकरण और मूल्य संरचना...............108
- मूल्य निर्माण में संस्कृति की भूमिका 110
- मूल्यों के आत्मसातीकरण में शिक्षण संस्थानों की भूमिका...............111

5. अभिवृत्ति 113–156

➢ **अभिवृत्तिः सारांश, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध...............114**
- अभिवृत्ति के घटक 116
- अभिवृत्ति में परिवर्तन...............125
- वास्तविक बनाम अभिव्यक्त अभिवृत्ति...............131

➢ **नैतिक एवं राजनैतिक अभिवृत्ति...............134**
- प्रमुख नैतिक अभिवृत्तियां...............135
- पूर्वाग्रह एवं भेदभाव...............136
- राजनैतिक अभिवृत्ति 138

➢ **सामाजिक प्रभाव और धारणा...............141**
- सामाजिक प्रभाव...............141
- प्रत्यायन या धारणा...............147

➢ **लोक एवं प्रशासनिक अभिवृत्ति व भारत में अभिशासन 152**
- लोक सेवक के लिए उपयुक्त अभिवृत्ति...............155

6. सिविल सेवा अभिरुचि और बुनियादी मूल्य 157–186

➢ **सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर-तरफदारी...............158**
- सिविल सेवा संहिता...............158

➢ **भारत में सिविल सेवा मूल्य...............159**

- भारत में सिविल सेवकों की नैतिक संहिता 159
- सिविल सेवा में मूल्यों का महत्व 162
- सिविल सेवा मूल्य व नैतिकता 162
- मूल्य और सार्वजनिक मूल्य 163
- सार्वजनिक मूल्य की बहुलता 164

➢ **अभिरुचि 165**
- अभिवृत्ति और अभिरुचि 165
- सत्यनिष्ठा 166
- सिविल सेवकों में शुचिता 168
- बुद्धिमता 169
- कार्यनिर्वाह-क्षमता 170

➢ **सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव 171**
- निष्पक्षता 172

➢ **कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता व संवेदना 174**
- कुछ अन्य निजी गुण 179

7. भावनात्मक समझ 187–222

➢ **भावनात्मक समझ 188**
- भावनात्मक समझ या बुद्धिमत्ता का विकास 189
- भावनात्मक समझ के अवयव 190
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता मापन 191

➢ **भावनात्मक गुणक (EQ): भावनात्मक समझ (EI) की मात्रा का प्रारूप 194**
- EI, IQ में अंतर 196
- भावनात्मक समझ और कार्य अभिवृत्ति (मनोवृत्ति) 198
- कुशाग्र भावना 200
- भावनात्मक समझ एवं लैंगिक भेद 201
- भावनात्मक बुद्धि व समझ रखने वाले प्रशासक के गुण 202

➢ **सिविल सेवा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग 204**

➢ **नेतृत्वकर्ता में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की समझ 206**

➢ **नेता, प्रशासक एवं सुधारक 211**
- प्रबंधक बनाम नेतृत्वकर्ता : व्यक्तित्व की विशेषता 213
- नेतृत्वकर्ता वाले गुणों का विकास 216
- व्यक्तिगत नैतिक नीति 219

8. भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान 223–268

➢ **दर्शन 224**

➢ **आधुनिक नैतिक दर्शन 224**
- नैतिक चेतना का विकास: लॉरेंस कोलबर्ग 225

➢ **मानकीय नीतिशास्त्र के सिद्धांत 226**
- सद्‌गुण का सिद्धांत 226
- प्रयोजनवादी (उपयोगितावादी) सिद्धांत 227
- जेरेमी बेंथम का परिमाणात्मक उपयोगितावाद 229
- मिल का गुणात्मक उपयोगितावाद 230
- कांट का नीतिशास्त्रीय सिद्धांत 230

➢ **भ्रष्टाचार और नीतिशास्त्रीय सिद्धांत 231**
- सद्‌गुण और उत्तम आचरण 232
- प्लेटो का सद्‌गुण सिद्धांत 233

- अरस्तू का सद्गुण सिद्धांत 234
- सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत....235
- संवैधानिक नैतिकता का सिद्धांत....235

➢ **नीतिशास्त्र के अन्य प्रमुख सिद्धांत 237**

➢ **भारतीय दर्शन में नीतिशास्त्र 241**

➢ **धर्म और नीतिशास्त्र....244**
- प्रमुख धर्म एवं नीतिशास्त्र 245
- बौद्ध नीतिशास्त्र 249
- जैन नीतिशास्त्र....253
- चार्वाक नीतिशास्त्र अथवा लोकायत 254
- गांधीवादी नीतिशास्त्र....254

➢ **स्वार्थमूलक नैतिकता 262**

➢ **कानून, नियम और नीतिशास्त्र 263**
- अस्तित्ववादी नैतिकता – जीन पॉल सार्त्र....264

➢ **दंड और इसका नैतिक औचित्य 265**
- वैश्विक न्याय 267

9. लोक प्रशासन में लोक/सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र 269–328

➢ **लोक सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्रः स्थिति तथा समस्याएं 270**
- लोक जीवन के मुख्य सिद्धान्त 271
- लोक सेवा के मूल्य....273
- लोक सेवा आचार....274
- लोक प्रशासन में नीतिशास्त्र....274
- लोक सेवकों में नीतिशास्त्र की स्थिति....276
- लोक सेवकों में भ्रष्टाचार 278
- लोक प्रशासन में नीतिशास्त्र के निर्धारक....278
- लोक प्रशासन में नीतिशास्त्र की समस्याएं 279
- लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका के रूप में भगवद्गीता....280
- भारतीय सिविल सेवा में नैतिकता से जुड़े मुद्दे....281
- नैतिक सक्षमता....282
- सिविल सेवकों में नैतिक व्यवहार का विकास....284
- शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण 286

➢ **सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं....290**
- दुविधा....293
- नैतिकतामुक्त वातावरण....299
- संगठनात्मक सत्यनिष्ठा 299
- नेतृत्व....301
- नैतिक पतन....302
- नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियमन तथा अंतरात्मा 306
- विधि का विभाजन....307
- अंतरात्मा....313

➢ **शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण....318**
- नैतिक शासन....319
- नीतिशास्त्रीय संगठन की बाधाएं....320

10. अंतरराष्ट्रीय संबंध और नैतिकता 329–354

➢ **अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता....330**
- व्यापक राष्ट्रीय शक्ति....335

- सामाजिक पूंजी और अंतरराष्ट्रीय संबंध 338
- अंतरराष्ट्रीय मामलों के अंतर्गत नैतिक मुद्दे 340
  - अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप 346
  - युद्ध की नैतिकता के विरुद्ध तर्क 351

11. शासन व्यवस्था में ईमानदारी 355–426

- लोक सेवा की अवधारणा 356
  - लोक सेवा के प्रकार्य 357
  - लोक सेवा के प्रतिदर्श 359
  - लोकहित के लिए लोक कर्त्तव्य (सार्वजनिक कर्त्तव्य) 360
  - सिविल सेवा 361
  - विकासपरक प्रशासन के व्यवहारपरक पैमाने 363
- शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार 366
- सरकार में सूचना का आदान-प्रदान, सूचना का अधिकार और पारदर्शिता 370
  - सूचना का लोकतांत्रीकरण 371
  - पारदर्शिता 373
- नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता 374
  - मंत्रियों के लिए आचार संहिता 374
  - कानून-निर्माताओं के लिए नैतिकता 376
  - लाभ के पद की अवधारणा एवं नैतिक संहिता 378
  - आचरण संहिता 379
- नागरिक घोषणा पत्र 382
  - नागरिक घोषणा पत्र का सिद्धांत 383
- कार्य संस्कृति 386
  - कार्यपरक संस्कृति 387
  - एक आदर्श कार्य संस्कृति में बाधाएं 388
  - नौकरशाही का राजनीतिकरण 389
  - राजनीति का नौकरशाहीकरण 390
  - भारत में राजनीति का अपराधीकरण 391
- नागरिकों को सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता 392
- लोक निधि का उपयोग 397
  - सरकारी खाते 400
  - निधि का उपयोग 401
  - निधि का अंकेक्षण 405
  - प्रशासन पर विधायी नियंत्रण 407
  - लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण 408
  - सामाजिक लेखा परीक्षण 409
- भ्रष्टाचार की चुनौतियां 410
  - राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार की पहचान करने की रणनीति 413
  - भ्रष्टाचार रोकने हेतु कानूनी ढांचा 415
  - व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा 418
  - सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली 418
  - भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक संस्थानों में प्रणालीगत सुधार 419
  - भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित समिति एवं आयोग 420
- सत्यनिष्ठा समझौता 422
- नागरिक समाज 423
- ई-शासन 425

12. प्रशासन में हितों का संघर्ष/टकराव 427–452

- सरकार में हितों का टकराव 428
- प्रशासन में संघर्ष 441
- सेवा की भावना....444
- अतिव्यापी/परस्पर व्याप्त और अन्तरनुभागीय जिम्मेदारियों में हितों का संघर्ष/टकराव 446

13. व्यावसायिक नीतिशास्त्र 453–474

- व्यावसायिक शासन....455
- व्यवसायों के लिए नैतिक दुविधाएं....457
- व्यावसायिक आचार संहिता एवं नीतिशास्त्रीय संहिता....459

14. उद्धरण और कथन 475–492

- भारतीय 477
- पश्चिमी 484
- वैश्विक....487
- प्रेम पर कथन....489
- पर्यावरण पर कथन....489
- मूल्यों पर कथन, नैतिकता पर कथन....490
- शक्ति पर दार्शनिक विचार, भ्रष्टाचार पर कथन....490
- उद्धरण और लोकोक्तियां....491

15. नैतिक मुद्दे 493–576

- **समकालीन सामाजिक समस्याएं और नैतिक मुद्दे....494**
  - जाति आधारित भेदभाव....494
  - त्वरित न्याय/बुलडोजर जस्टिस....495
  - चुनावी वादों में मुफ्त उपहार संस्कृति....497
  - आपदा प्रबंधन/राष्ट्रीय संकट....499
  - प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक एवं कदाचार....501
  - धर्मगुरुओं के अनुयायी वर्ग एवं अंध श्रद्धा 503
  - अंतरराष्ट्रीय प्रवासन 504
  - प्रचलित नैतिक मुद्दे....506
  - आत्महत्या : नीतिशास्त्रीय संदर्भ....508
  - बेरोजगारी....509
  - श्रम से जुड़े नैतिक मुद्दे 510
  - वेश्यावृत्ति....513
  - अल्पसंख्यक....514
  - अवैध प्रवासी....516
  - पोर्नोग्राफी....517
  - लिंचिंग और असहिष्णु समाज....517
  - कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न....518
  - कमजोर और वंचित वर्ग....519
  - लैंगिक असमानता....521
  - एलजीबीटीक्यू से संबंधित नैतिक मुद्दे....523
  - अजन्मे बच्चे का अधिकार....524
  - स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नैतिकता....525
  - इंटर-जेनरेशनल इक्विटी....526
  - डिजिटलीकरण तथा संस्कृति 527
- **संवैधानिक एवं कानूनी मुद्दे 530**
  - समलैंगिक व्यक्तियों के विवाह का अधिकार....530

- विलंबित न्याय 531
- नि:शुल्क विधिक सहायता का अधिकार....533

➢ **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी....535**
- लिंग-निर्धारण 535
- सरोगेसी....536
- जेनोट्रांसप्लांटेशन: चिकित्सकीय व नैतिक निहितार्थ 537
- स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का व्यावसायीकरण....539
- गर्भपात से संबंधित नैतिक मुद्दे....540
- चिकित्सा उद्योग के नीतिगत मुद्दे....541
- जीनोम एडिटिंग 542
- थ्री-पेरेंट बेबी 543
- मानव प्रतिरूपण और डिजाइनर शिशु, एआई से संबंधित नैतिक मुद्दे....545
- डेटा गोपनीयता और संरक्षण 546

➢ **मीडिया 547**
- भारतीय मीडिया और पत्रकारिता: नैतिक मुद्दे....547
- डिजिटल मीडिया तथा इसकी चुनौतियां....548
- मजबूत शिकायत तंत्र का अभाव....549

➢ **लोक प्रशासन एवं शासन 551**
- प्रशासनिक विवेकाधिकार....551
- प्रशासन में भ्रष्टाचार....552
- भ्रष्टाचार उजागर करना 553
- भाई-भतीजावाद 554

➢ **मानव संसाधन....555**
- मूनलाइटिंग 555
- मानव संसाधन से संबंधित नैतिक मुद्दे....556

➢ **आर्थिक मुद्दे....557**
- कॉर्पोरेट शासन से संबंधित नैतिक मुद्दे 557
- नीतिशास्त्र एवं कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी....558
- अभियांत्रिकी व्यवसाय/उद्यम में शामिल नैतिक मुद्दे 560
- पूंजी अधिकतमीकरण तथा पूंजी का समान वितरण....561
- कृषक संकट संबंधी नैतिक मुद्दे....562

➢ **पर्यावरण....563**
- जलवायु शरणार्थी....563
- मानव-पशु संघर्ष और नाशक प्रजातियों को मारने से संबंधित मुद्दे....564
- पर्यावरण बनाम विकास बहस....566

➢ **अंतरराष्ट्रीय नैतिकता संबंधी मुद्दे....567**
- विकासात्मक सहायता और सशर्तता संबंधी नैतिकता 567
- मानवीय हस्तक्षेप....568
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी WTO के मानदंड एवं अत्यल्प विकसित देशों (LDCs) के हित......568
- मुद्रा का हेरफेर....569

➢ **सुरक्षा संबंधी मुद्दे 570**
- आतंकवाद और सामाजिक नीतिशास्त्र....570
- सरकार द्वारा नागरिकों के विरुद्ध अविवेकपूर्ण रूप से बल का प्रयोग....570
- परमाणु हथियार और निरस्त्रीकरण....572

➢ **आपदा-प्रबंधन....574**
- आपदा-प्रबंधन नीतिशास्त्र 574

16. नीतिशास्त्र संबंधित शब्दावली **577–594**

पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-IV : नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि

इस प्रश्न-पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार-व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न-पत्रों में किसी मामले के अध्ययन (केस स्टडी) का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा:

- **नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह-संबंध:** मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम; नीतिशास्त्र के आयाम; निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र; मानवीय मूल्य-महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा; मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका।
- **अभिवृत्ति:** सारांश (कंटेन्ट), संरचना, वृत्ति: विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध; नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि; सामाजिक प्रभाव और धारणा।
- **सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य,** सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर-तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना।
- **भावनात्मक समझ:** अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग।
- **भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान।**
- **लोक प्रशासन में लोक/सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र:** स्थिति तथा समस्याएं; सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं; नैतिक मार्गदर्शन के स्त्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियमन तथा अंतरात्मा; जवाबदेही एवं नीतिशास्त्रीय शासन; शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण; अंतरराष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था (फंडिंग) में नैतिक मुद्दे; कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था।
- **शासन व्यवस्था में ईमानदारी:** लोक सेवा की अवधारणा; शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान-प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भष्टाचार की चुनौतियां।
- उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन (केस स्टडी)।

सामान्य अध्ययन-IV: नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि

प्रश्न-प्रवृत्ति विश्लेषण (Trend Analysis)

खंड	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
नीतिशास्त्र-मूलभूत सिद्धांत	10	20	30	20	20	00	30	10	30	30	50	20
अभिवृत्ति	10	00	00	10	00	00	10	10	10	10	10	0
अभिरुचि	90	85	30	60	70	50	40	70	50	50	30	40
भावनात्मक समझ	10	00	10	10	20	10	10	10	00	20	15	0
नैतिक विचारक	10	20	40	10	00	30	50	30	10	40	30	30
लोक प्रशासन में नीतिशास्त्र	90	90	110	140	140	160	110	120	150	100	115	160

नोट: यह एक व्यापक वर्गीकरण है। बॉक्स में दिए गए अंक कुल अंक को दर्शाते हैं।

पाठ्यक्रम में प्रयुक्त शब्दों के अभिप्राय

- नीतिशास्त्र (Ethics): मौलिक मानवीय गुणों के अनुरूप, उचित और अनुचित के विचारों पर आधारित कार्रवाई।
- सत्यनिष्ठा (Integrity): नैतिक सुदृढ़ता, निरंतर सच्चाई के मार्ग पर चलना तथा मजबूत नैतिक सिद्धांतों एवं मूल्यों के प्रति सुसंगत रहना और समझौता किए बिना इनका पालन करना।
- अभिरुचि (Aptitude): किसी व्यक्ति की अपने कार्यों और निर्णयों में नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों को समझने और लागू करने की जन्मजात क्षमता अथवा एक निश्चित स्तर पर एक निश्चित प्रकार का कार्य करने की योग्यता।
- अभिवृत्ति (Attitude): किसी व्यक्ति का किसी चीज को देखने का नजरिया या उसके प्रति व्यवहार अथवा कार्य करने, महसूस करने या सोचने का एक तरीका, जो किसी के स्वभाव, राय, मानसिक प्रवृत्ति या अभिविन्यास आदि को दर्शाता हो।
- मानवीय मूल्य (Human Values): वे नियम, जिनके द्वारा हम उचित और अनुचित, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अच्छा और बुरा के बारे में निर्णय लेते हैं।
- धारणा (Persuasion): किसी को एक निश्चित स्थिति या विश्वास या कार्य पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करना।
- भेदभाव रहित (Impartiality): विभिन्न विचारों अथवा राय पर समान एवं निष्पक्ष रूप से व्यवहार करने का गुण।
- गैर-तरफदारी (Non-Partisanship): किसी भी राजनीतिक दल या विशेष हित समूह का समर्थन नहीं करना तथा उससे प्रभावित नहीं होना।
- निष्पक्षता (Objectivity): भावनाओं या व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से प्रभावित हुए बिना तथ्यों एवं सूचित घटनाओं पर आधारित निर्णय लेना।

- सहानुभूति (Sympathy): दूसरों के दुख को साझा करने का मानवीय गुण।
- समानुभूति (Empathy): दूसरों के दुखों को न केवल साझा करने बल्कि समझने का मानवीय गुण।
- संवेदना (Compassion): दूसरे के दुखों को समझने और कुछ करने की इच्छा रखने का मानवीय गुण।
- सहिष्णुता (Tolerance): दूसरों के विश्वासों या मान्यताओं को पहचानने और उनका सम्मान करने की इच्छा या सम्मति।
- भावनात्मक समझ (Emotional Intelligence): अपनी भावनाओं के साथ-साथ दूसरों की भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने की क्षमता। लोगों के महसूस करने और प्रतिक्रिया करने के तरीके को समझने की क्षमता तथा इस कौशल का उपयोग प्रभावी निर्णय लेने और समस्या समाधान हेतु करना।
- दुविधा (Dilemma): ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति के लिए दो या दो से अधिक चीजों के बीच चयन करना कठिन हो।
- अंतरात्मा (Conscience): उचित और अनुचित के संबंध में अपने स्वयं के विचारों के अनुरूप होना।
- जवाबदेही (Accountability): स्वयं द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम की जिम्मेदारी लेना और इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दों का त्वरित एवं निष्पक्षतापूर्ण ढंग से समाधान करना।
- भ्रष्टाचार (Corruption): बेईमानीपूर्ण लाभ हेतु विश्वासपूर्ण स्थिति अथवा पद का उपयोग (एकाधिकार + विवेक - जवाबदेही = भ्रष्टाचार)।
- ईमानदारी (Probity): निष्ठावान, सत्यनिष्ठ एवं न्यायनिष्ठ व्यक्ति होना। निष्पक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता के मूल्यों को लागू करना।
- नागरिक घोषणा-पत्र (Citizen's Charter): उच्च स्तरीय सेवा प्रदान करने के लिये एक सार्वजनिक संगठन द्वारा नागरिकों को दी गई वचनबद्धता।
- पारदर्शिता (Transparency): जानकारी साझा करना तथा खुले ढंग से कार्य करना। हालांकि, प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए यह जानकारी समय पर, प्रासंगिक, सटीक और पूर्ण होनी चाहिए।
- सूचना का अधिकार (Right to Information): यह सरकार से कोई भी जानकारी मांगने, किसी भी सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण करने और उसकी प्रमाणित फोटोकॉपी की मांग करने के भारतीय नागरिक के अधिकार को संदर्भित करता है।
- आचरण संहिता (Codes of Conduct): यह किसी व्यक्ति के लिए मानदंडों, नियमों, जिम्मेदारियों तथा उचित अभ्यास को रेखांकित करने वाले नियमों का एक समूह है।
- नीतिपरक आचार संहिता (Codes of Ethics): यह सिद्धांतों का एक मार्गदर्शक है, जो पेशेवरों को ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने में मदद करने हेतु विकसित की जाती है।
- कार्य संस्कृति (Work Culture): किसी संगठन के भीतर और उसके कर्मचारियों के बीच प्रथाओं, मूल्यों एवं साझा मान्यताओं का एक सेट, जिसे आम तौर पर सोचने तथा कार्य करने का उचित तरीका माना जाता है, कार्य संस्कृति कहलाती है।

1

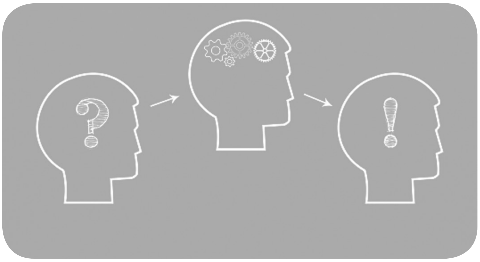

लेक्सिकन ऑफ केस स्टडी

आज सिविल सेवा राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर आधार तथा उचित कार्य वातावरण के अभाव के रूप में कई चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में सैद्धान्तिक अध्ययन की अपनी सीमाएं स्पष्ट हो जाती हैं। अतः संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में सिविल सेवा परीक्षा में उन पद्धतियों को शामिल किया जाए, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो तथा जिनसे नौकरशाही का ऐसा वर्ग तैयार हो, जो केवल किताबी ज्ञान में महारत न रखता हो, अर्थात् नौकरशाही से रोज वास्ता पड़ने वाले विषयों का भी व्यावहारिक ज्ञान हो। यह पुस्तक भी सिविल सेवा परीक्षा में आए बदलाव को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिनमें कई ऐसे 'Terms' हैं, जिन्हें समझने में पाठकों को कठिनाई हो सकती है। केस स्टडी मॉडल एक ऐसा माध्यम है, जिसके सहारे उन 'Terms' को सरलीकृत किया जा सकता है, ताकि उन्हें प्रासंगिक संदर्भ से जोड़कर बृहद परिप्रेक्ष्य में समझा जा सके।

इस अनुभाग में हमने उद्देश्यपूर्ण तरीके से यह प्रस्तुत किया है कि केस स्टडी के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है।

केस स्टडी क्या है?

एक केस स्टडी कोई गतिविधि, घटना या समस्या है, जिसमें वास्तविक या काल्पनिक स्थितियां शामिल होती हैं और इसमें वे जटिलताएं भी सम्मिलित होती हैं जिनका व्यक्ति कार्यस्थल पर सामना करता है। केस स्टडी का विषय, वास्तविक जीवन की जटिलताएं और किसी व्यक्ति या अधिकारी के निर्णय पर इनका प्रभाव होता है। केस स्टडी का विश्लेषण करने के लिए आपको अपने ज्ञान और सोच कौशलों को वास्तविक जीवन की स्थितियों पर लागू करने की आवश्यकता होती है। केस स्टडी विश्लेषण से सीखने के लिए आप 'विश्लेषण, ज्ञान और तर्क को लागू करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे।' (कार्डोस और स्मिथ 1979)

कार्डोस और स्मिथ के अनुसार एक अच्छी केस स्टडी में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं:

- इसे वास्तविक जीवन से लिया जाता है (सच्ची पहचान को छिपाया जा सकता है)।
- इसमें कई भाग होते हैं और प्रत्येक भाग आमतौर पर समस्या और चर्चा के बिन्दुओं पर समाप्त होता है। केस में स्थिति (situation) की कोई स्पष्ट निर्दिष्ट सीमा नहीं हो सकती है।
- इसमें पाठक के लिए समस्याओं और मुद्दों के समाधान हेतु पर्याप्त सूचना होती है।
- यह पाठक के विश्वासयोग्य होती है (केस में समायोजन (Setting), व्यक्तित्व, घटनाओं का क्रम, समस्याएं और संघर्ष शामिल होते हैं)

संक्षेप में, एक केस स्टडी आपको निष्क्रिय रहने के स्थान पर भाग लेने का मौका देती है। किसी मामले पर परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण को बेहतर तरीके से जानने का एक साधन उपलब्ध करता है। इसके माध्यम से परीक्षक प्रश्नोत्तर शैली की परीक्षा से परे उम्मीदवार के भीतर क्षमता की मौजूदगी या गैरमौजूदगी की संभावना का परीक्षण कर सकता है।

केस स्टडी के प्रकार

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम का सामान्य अध्ययन पेपर-4 की विषय वस्तु नीतिशास्त्र (एथिक्स) है। पेपर 4 का एक सेक्शन केस स्टडी से सम्बंधित होता है, जहां से 100 से अधिक अंको के प्रश्न पूछे जाते हैं। केस स्टडी उम्मीदवारों के लिए प्रमुख स्कोरिंग क्षेत्रों में से एक है और इसलिए केस स्टडी की समझ तैयारी का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। केस स्टडी के मामलों को हल करने के लिए उम्मीदवार का दृष्टिकोण काफी महत्वपूर्ण होता है। यूपीएससी द्वारा पूछे गए केस स्टडी पर प्रश्न इस मामले में अलग हैं कि, वे उन विशेषताओं की जांच करते हैं, जो एक सिविल सेवक से अपेक्षित हैं।

केस स्टडीज के प्रासंगिक विश्लेषणों से हम देख सकते हैं कि वे मूल रूप से वास्तविक या काल्पनिक स्थितियां हैं जहां व्यक्ति के समक्ष नैतिक समस्याएं या नैतिक दुविधाएं उपस्थित होती हैं। कुछ मामलों में नैतिक दुविधाओं की कई परतें हो सकती हैं। जहाँ कोई अधिकारी कई स्तरों पर अपने ऊपर के अधिकारियों या अधीनस्थों के संपर्क में रहता है वहां दुविधाओं के भी कई स्तर हो सकते हैं। ऐसी दुविधाएं मजबूत नैतिक मानकों के साथ ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए बहुआयामी बौद्धिकता की मांग करती हैं। इसके अलावा नीतिशास्त्र के कुछ केस निश्चित लक्ष्यों और उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। इन केसों को मानक नैतिक अभ्यास (standard ethical practices) द्वारा हल किया जाता है।

अलग-अलग केसों को हल करने के लिए अलग-अलग रणनीतियों की आवश्यकता होती है। इसलिए किस प्रकार का केस दिया गया है और नैतिक दुविधाओं को सुलझाने के लिए किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, यह जानने के लिए सबसे पहले केस स्टडी के प्रकार और उससे जुड़ी दुविधा की पहचान आवश्यक है।

2

केस स्टडीः पूर्वावलोकन एवं संक्षिप्त विश्लेषण

(सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र IV 2020-2025)

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र IV वास्तविक जीवन के शासन परिदृश्यों में उम्मीदवारों के नैतिक तर्क, निर्णय निर्माण और समस्या-समाधान कौशल का मूल्यांकन करता है। इसके अंतर्गत केस स्टडीज के माध्यम से अभ्यर्थी की पारदर्शिता, जवाबदेही, भ्रष्टाचार, सामाजिक न्याय और लोक प्रशासन से संबंधित मुद्दों के निष्पक्षता और व्यावहारिकता के साथ प्रबंधन की क्षमता का परीक्षण किया जाता है। विगत वर्षों की केस स्टडी का विश्लेषण करने से उम्मीदवारों को नैतिक दुविधाओं के प्रति एक संरचित दृष्टिकोण विकसित करने और अपने प्रशासनिक निर्णय को परिष्कृत करने में मदद मिलती है। यह जटिल परिस्थितियों में सुदृढ़, नैतिक निर्णय लेने की उनकी क्षमता को बढ़ाता है।

विगत वर्ष के प्रश्न-पत्र का सामान्य अवलोकन

सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-IV (2025) के केस स्टडीज खंड में समकालीन मुद्दों से संबंधित अंतर्विषयक स्थितियों के उभरते चलन को दिखाया गया है। ऐसे मामलों में जटिल स्थितियों में आपस में जुड़े मुद्दों की विशेष समझ की आवश्यकता होती है, जिसके लिए निर्णय लेने में अधिक तेजी तथा संतुलन की आवश्यकता होती है। प्रशासन एवं शासन के पारंपरिक क्षेत्रों पर आधारित मामलों ने उम्मीदवार के नैतिक दृढ़ विश्वास का परीक्षण करने का प्रयास किया।

GS पेपर IV, 2025 के सेक्शन-A में छह प्रश्न थे, जहाँ प्रत्येक प्रश्न के दो उप-भाग थे और उद्धरण आधारित प्रश्न के तीन उप-भाग थे। इस भाग में भी, समकालीन मुद्दों से संबंधित अन्तः विषयी प्रश्नों की प्रवृत्ति स्पष्ट है।

ये प्रश्न इन विषयों से बनाए गए थे:

1. सोशल मीडिया से संबंधित नैतिक दुविधाएं
2. संवैधानिक नैतिकता; नैतिकता और कानून
3. भू-राजनीतिक संघर्षों के संदर्भ में एक राजनयिक उपकरण के रूप में युद्ध
4. राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यावरणीय मुद्दे
5. अभिवृत्ति में परिवर्तन
6. योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में सिविल सेवकों की भूमिका
7. महावीर जैसे दार्शनिकों की शिक्षाएँ
8. सिविल सेवाओं के बुनियादी मूल्य (कर्तव्य के प्रति समर्पण, दृढ़ता)
9. कार्य संस्कृति एवं आचार संहिता
10. आर्थिक विकास तथा कोष के उपयोग में जवाबदेही

केस-स्टडी संबंधित प्रश्नों का अवलोकन

GS पेपर IV, 2025 के सेक्शन-B में छह केस स्टडीज थीं जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में नैतिक अवधारणाओं के अनुप्रयोग की आवश्यकता थी। इनमें शामिल थे:

1. पर्यावरणीय आपदाओं के साथ पेशेवर एवं व्यक्तिगत नैतिकता का मिश्रण
2. पारिस्थितिक चिंताओं को संतुलित करते हुए संवैधानिक प्रावधानों को पूरा करना
3. व्यक्तिगत, पेशेवर तथा राष्ट्रीय हित के बीच संघर्ष को हल करने में एक सिविल सेवक की भूमिका
4. कार्य नैतिकता एवं वित्तीय औचित्य
5. योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन
6. राष्ट्रीय सुरक्षा, पड़ोसी मुद्दे, शरणार्थी तथा मानवीय मुद्दे

केस स्टडी

केस स्टडी: भारी वर्षा एवं बादल फटने से एक पर्वतीय जिले में भारी तबाही हुई जहाँ विजय डिप्टी कमिश्नर थे। सड़कें एवं संचार व्यवस्था ठप होने, कई लोगों की मृत्यु तथा हजारों लोगों के घायल या बेघर होने के कारण, विजय ने बचाव एवं राहत कार्यों का नेतृत्व किया। चल रहे संकट के बीच, उन्हें सूचना मिली कि उनकी माँ की केरल में मौत हो गई है, जिससे वह दुविधा में पड़ गए कि उनके अंतिम संस्कार के लिए जाएं या बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए वहीं रहें। (2025)

3

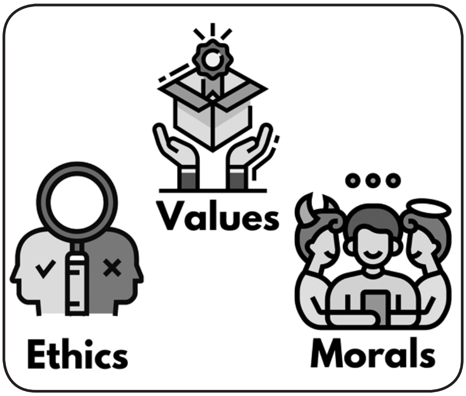

नीतिशास्त्र, मूल्य एवं नैतिकता

नीतिशास्त्र, मूल्य एवं नैतिकता शासन और लोक प्रशासन के मूलभूत स्तंभ हैं, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में नैतिक निर्णय लेने की आधारशिला हैं। ये अवधारणाएं लोक सेवा के नैतिक आधार को समझने में मदद करती हैं।

- *नीतिशास्त्र, नैतिक सिद्धांतों की एक प्रणाली है, जो विशेष रूप से शासन, नेतृत्व और व्यावसायिक जिम्मेदारियों में मानव व्यवहार को निर्देशित करती है।*
- *मूल्य वे गहन विश्वास हैं जो निर्णय निर्माण एवं प्राथमिकताओं को प्रभावित करते हैं, जिनमें सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और समानुभूति शामिल हैं, जो सिविल सेवकों के लिए प्रमुख गुण हैं।*
- *नैतिकता, सामाजिक मानदंडों, दार्शनिक सोच और कानूनी सिद्धांतों के आधार पर उचित या अनुचित के बीच अंतर को परिभाषित करती है।*

ये तत्व नैतिक शासन को आकार देते हैं तथा जवाबदेही, पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करते हैं, जो संवैधानिक मूल्यों और प्रभावी प्रशासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

नीतिशास्त्र की अवधारणा

उत्पत्ति की दृष्टि से, 'नीतिशास्त्र' (एथिक्स) शब्द ग्रीक शब्द 'एथोस' (Ethos) से बना है जिसका अर्थ है चरित्र, आदत, रीति-रिवाज, व्यवहार के तरीके आदि।

नीतिशास्त्र को दो व्यापक तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है: 1) मानकों एवं सिद्धांतों के एक समूह के रूप में तथा 2) सही या गलत के एक व्यवस्थित अध्ययन के रूप में।

पहले अर्थ में, नीतिशास्त्र आदर्शों, सिद्धांतों और मानकों का वह समूह है जो मानवीय कार्यों को सही या गलत निर्धारित करता है। यह मानकों का एक समूह है जिसे कोई समाज स्वयं पर लागू करता है जो व्यवहार, विकल्पों और कार्यों का मार्गदर्शन करने में सहायता करता है।

दूसरे अर्थ में, नीतिशास्त्र को जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले मानवीय कार्यों के उचित या अनुचित होने के व्यवस्थित, तर्कसंगत अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ, नीतिशास्त्र दर्शनशास्त्र की एक शाखा है। यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी वाले मानव आचरण में क्या अच्छा है या क्या बुरा है, का चिंतनशील अध्ययन है।

एक दार्शनिक विषय के रूप में, नीतिशास्त्र उन मूल्यों एवं दिशानिर्देशों का अध्ययन है जिन्हें हम जीते हैं। इसमें उन मूल्यों एवं दिशानिर्देशों का औचित्य सिद्ध करना भी शामिल है। यह केवल परंपराओं एवं रीति-रिवाजों का आँख मूँदकर पालन करना नहीं है। इसके बजाय, इसके लिए सार्वभौमिक सिद्धांतों के प्रकाश में उनके विश्लेषण तथा मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

दर्शनशास्त्र की एक शाखा के रूप में, नीतिशास्त्र को नैतिक दर्शन भी कहा जाता है। यह नैतिकता, नैतिक समस्याओं और नैतिक निर्णयों के बारे में दार्शनिक चिंतन है। 'नैतिक' (Moral) शब्द लैटिन शब्द 'मोर्स' (Mores) से आया है जिसका अर्थ है रीति-रिवाज, चरित्र, व्यवहार आदि।

नीतिशास्त्र क्या है?

नीतिशास्त्र मानक नियमों एवं आदर्शों द्वारा मानवीय आचरण तथा व्यवहार का नियमन, मार्गदर्शन तथा मूल्यांकन करने वाली एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसका लक्ष्य व्यक्ति और समाज का अधिकतम कल्याण है।

नैतिक दर्शनशास्त्र केवल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारण नहीं करता, बल्कि यह उन तथ्यों की तात्पर्यता प्रदर्शित करने का प्रयास करता है, उसे बौद्धिक स्तर पर स्वीकार या खारिज करता है, उसके प्रभावों को समझता है, उसके व्यावहारिक परिणामों को देखता है और सबसे प्रमुख यह कि वह उसके अंतिम उद्देश्यों तक पहुंचता है। इस प्रकार नीतिशास्त्र को परम सुख की प्राप्ति के साधन के रूप में उचित या अनुचित के दृष्टिकोण से मानवीय क्रियाओं के व्यवस्थित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नीतिशास्त्र मानवीय व्यवहार के उस भाग की अच्छाई या बुराई का चिंतनशील अध्ययन है, जिसकी कुछ व्यक्तिगत जवाबदेही है।

नीतिशास्त्र से तात्पर्य किसी के नीतिशास्त्रीय मानकों के अध्ययन व विकास से भी है। दूसरे शब्दों में नीतिशास्त्र वे मानक या नियम हैं, जो आप अपने लिए निर्धारित करते हैं, जो सही या गलत के निर्धारण के प्रयास में आपका मार्गदर्शन करते हैं।

नीतिशास्त्रीय मानकों में ईमानदारी, दया एवं निष्ठा जैसे सदाचारों को भी शामिल किया जाता है। इनमें अधिकार; जैसे जीवन का अधिकार, जोखिम में स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार को भी शामिल किया जाता है।

4

नीतिशास्त्र और मानवीय सह-संबंध

नीतिशास्त्र, मानवीय व्यवहार और अंत:क्रियाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक आचरण दोनों को प्रभावित करता है। यह एक न्यायसंगत समाज की नींव के रूप में काम करता है तथा व्यक्तियों को नैतिक निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शित करता है। यह उचित और अनुचित को परिभाषित कर मानव आचरण को नियंत्रित करता है। नीतिशास्त्र और मानवीय क्रियाओं का संबंध विभिन्न आयामों में विस्तृत है, जो शासन, नेतृत्व और सामाजिक समरसता को प्रभावित करते हैं। नीतिशास्त्रीय मूल्य व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं तथा आपसी संबंधों में ईमानदारी, समानुभूति और जिम्मेदारी को बढ़ावा देते हैं। लोक सेवकों को, विशेष रूप से, सुशासन और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करने के लिए नैतिक मानकों को बनाए रखना चाहिए।

मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम

मानवीय क्रियाएं

नीतिशास्त्र को मानव क्रियाओं का अभीष्ट सुख प्राप्त करने के साधन के रूप में उनके सही या गलत होने के विचार से व्यवस्थित अध्ययन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। नीतिशास्त्र मानव के उस व्यवहार का आत्मंथन है, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी है। सरल शब्दों में, मानवीय क्रियाओं में नीतिशास्त्र का संबंध क्या अच्छा है और उसे कैसे प्राप्त करे तथा क्या बुरा है और इससे कैसे बचें के प्रश्न से है?

नैतिकता को एक दार्शनिक ग्रंथ कहा जाता है, जो मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है और यह निर्धारित करने की कोशिश करता है कि प्रदर्शित किया गया कार्य नैतिक रूप से सही है या गलत। यह केवल तथ्यों को दर्ज करके खुद को संतुष्ट नहीं करता है।

यह तथ्यों की सार्थकता या निरर्थकता को प्रतिबिंबित करने का प्रयास करता है, उन्हें तर्कसंगत आधार पर स्थापित या अस्वीकार करता है, उनके निहितार्थों को समझता है, प्रासंगिक परिणामों को आकर्षित करता है और अंत्वोगत्वा उनके अंतिम कारण को प्रस्तुत करता है।

नीतिशास्त्रमानव के लिए जीवन जीने की वह कला है, जिसके द्वारा मानव सही आर्थों में उचित और आराम से जी सकता है। यह एक निर्देशात्मक/नियामक विज्ञान है क्योंकि यह मानव जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करता है तथा जीवन-अस्तित्व को सही दिशा देता है।

मानवीय क्रिया की समझ (Understanding of Human Act)

नीतिशास्त्र सैद्धांतिक और व्यावहारिक भी है, जो मानवीय क्रिया की समझ को विकसित करता है। यह सैद्धांतिक है क्योंकि यह आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत करता है, जिसके द्वारा नैतिक निर्णय लिए जाते हैं। यह व्यावहारिक है क्योंकि यह लक्ष्य और उसको प्राप्त करने के साधनों से संबंधित है।

'मानवीय क्रिया (Human Act)' वह है, जो ज्ञान और स्वतंत्र इच्छा से आगे बढ़ता है। या, यह एक ऐसा कार्य है, जो उस इच्छा से निकलता है जिसका अंत या लक्ष्य, ज्ञान होता है। मानवीय क्रिया को उन मनुष्यों के कृत्यों से अलग किया जाना चाहिए जो बुद्धि और स्वतंत्र इच्छा के हस्तक्षेप के बिना किए जाते हैं। गांधीजी ने बतलाया है कि नीतियुक्त कर्मों को जानने के लिए यह आवश्यक है कि हम यह जाने कि नीतियुक्त कर्म कौन नहीं है, अर्थात नीति-शून्य कर्म कौन-कौन हैं?

- मनुष्य की सहज क्रियाएं जो यंत्रवत होती रहती हैं, जैसे- श्वास लेना या छिंकना आदि। इस प्रकार सहज क्रियाएं, प्रतिवर्त क्रियाएं सभी नीति शून्य कर्म हैं।
- परंपरा या पुरानी रीति-रिवाज के अनुसार जो कर्म होते हैं, गांधीजी उन्हें भी नीति शून्य मानते हैं। अधिकतर ऐसे कर्मों को बिना सोचे समझे हम किया करते हैं। अतः अधिकतर ऐसे कर्म नीति शून्य होते हैं।

मानवीय क्रिया के संघटक तत्व (The Constituent Elements of Human Action)

मानवीय क्रिया के संघटक तत्व, आंतरिक कारणों या निम्नलिखित तत्वों का उल्लेख करते हैं, जो एक निश्चित कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं। मानवीय क्रिया की समझ दो आवश्यक तत्वों को इंगित करती है, जो किसी मानवीय क्रिया का गठन करते हैं:

5

अभिवृत्ति (ATTITUDE)

सामाजिक प्रभाव के कारण लोग व्यक्ति के बारे में तथा जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों के बारे में एक दृष्टिकोण या अभिवृत्ति विकसित करते हैं, जो उनके अंदर एक व्यवहारात्मक प्रवृत्ति के रूप में विद्यमान रहती है। जब हम लोगों से मिलते हैं, तब हम उनके व्यक्तिगत गुणों या विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाते हैं। अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ किसी मनोवैज्ञानिक विषय (अर्थात व्यक्ति, समूह, विचार, वस्तु, स्थिति या कुछ और जिसके बारे में भाव आ सके) के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति है।

अभिवृत्ति की सभी परिभाषाएं इस बिंदु पर एकमत हैं कि अभिवृत्ति मन की एक अवस्था है। यह किसी विषय (जिसे अभिवृत्ति-विषय कहा जाता है) के संबंध में विचारों का एक पुंज है, जिसमें एक मूल्यांकनपरक विशेषता (सकारात्मक, नकारात्मक अथवा तटस्था का गुण) पाई जाती है। इससे संबद्ध एक सांवेगिक घटक होता है तथा अभिवृत्ति-विषय के प्रति एक विशेष प्रकार से क्रिया करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है।

अभिवृत्तिः सारांश, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध

अवधारणा

फिशबीन एवं अजेन के मुताबिक ''अभिवृत्ति किसी दी हुई वस्तु के संदर्भ में निरंतर अनुकूल या प्रतिकूल भाव से प्रत्युत्तर की विज्ञ-पूर्ववृत्ति है'' (A learned predisposition to respond in a consistently favourable or unfavourable manner with respect to a given object.)। कुछ ऐसी ही परिभाषा **इगली और चायकेन** (1993) ने भी प्रस्तुत की। उनके मुताबिक ''अभिवृत्ति एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, जो किसी इकाई विशेष की कुछ हद तक पक्ष या विपक्ष के साथ मूल्यांकन द्वारा व्यक्त की जाती है।'' (Attitude is a psychological tendency that is expressed by evaluating a particular entity with some degree of favour or disfavor)। इस परिभाषा के हिसाब से अभिवृत्ति सभी वस्तुओं अथवा परिस्थितियों के बजाय इकाई अथवा वस्तु विशेष पर केंद्रित है।

हिंदी में अभिवृत्ति की जगह 'मनोवृत्ति' एक प्रचलित शब्द है, जिसका व्यवहार प्राय: हम अपने दैनिक जीवन में दिन-प्रतिदिन करते हैं। वस्तुत: मनोवृत्ति किसी व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या प्रतिच्छाया है; जिसके आधार पर वह व्यक्ति, समूह, वस्तु, परिस्थिति या फिर किसी घटना के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल दृष्टिकोण अथवा विचार को प्रकट करता है। मनोवृत्ति का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर दिशासूचक रूप से पड़ता है। मनोवृत्ति व्यक्ति की शक्ति को एक खास दिशा में लगा देती है, जिसके कारण वह अन्य दिशाओं को छोड़कर एक निश्चित दिशा में व्यवहार करने लगता है।

जैसा कि इसकी परिभाषा से स्पष्ट है- मनोवृत्ति सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। अगर व्यक्ति की मनोवृत्ति सकारात्मक है तो उसकी प्रतिक्रिया भी अनुकूल होगी, परन्तु अगर मनोवृत्ति नकारात्मक है तो प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं, बल्कि प्रतिकूल होगी; अर्थात् व्यक्ति की मनोवृत्ति तथा उसके व्यवहार के बीच सदा सम्बद्धता होती है।

अभिवृत्ति एवं अन्य धारणाएं

अभिवृत्ति को दो अन्य घनिष्ठ रूप से संबंधित संप्रत्ययों, विश्वास (beliefs) एवं मूल्य (values) से विभेदित किया जाना चाहिए। विश्वास, अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक (Cognitive) घटक को इंगित करते हैं तथा एक ऐसे आधार का निर्माण करते हैं, जिन पर अभिवृत्ति टिकी है; जैसे ईश्वर में विश्वास या राजनीतिक विचारधारा के रूप में प्रजातंत्र में विश्वास।

मूल्य, ऐसी अभिवृत्ति या विश्वास है, जिसमें 'चाहिए' का पक्ष निहित रहता है; जैसे आचारपरक या नैतिक मूल्य। एक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए, या एक व्यक्ति को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऐसे विचार मूल्य के उदाहरण हैं।

मूल्य का निर्माण तब होता है, जब कोई विशिष्ट विश्वास या अभिवृत्ति व्यक्ति के जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग बन जाती है। इसके परिणामस्वरूप मूल्य में परिवर्तन करना कठिन है। अभिवृत्ति के द्वारा किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है? यह देखा जाता है कि अभिवृत्ति वह पृष्ठभूमि प्रदान करती है, जो एक व्यक्ति को यह निर्णय करने में सुविधा प्रदान करती है कि नई परिस्थिति में किस प्रकार से कार्य करना है। उदाहरणस्वरूप, विदेशियों के प्रति हमारी अभिवृत्ति। उनसे मिलने पर हमें उनके प्रति किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इसके लिए यह अप्रत्यक्ष रूप से एक मानसिक 'रूपरेखा' प्रदान करती है।

6

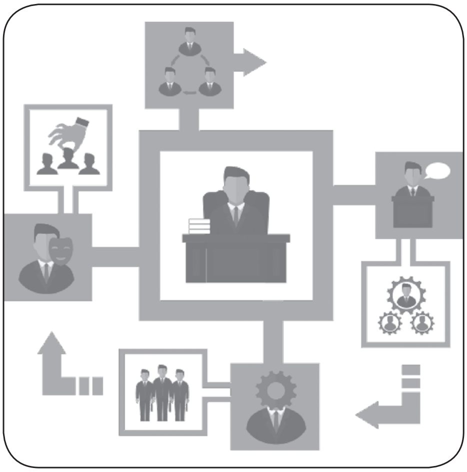

सिविल सेवा अभिरुचि और बुनियादी मूल्य

सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर-तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव तथा कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता व संवेदना को संदर्भित करता है।

लोक सेवकों के लिए नैतिक मूल्यों एवं मानकों का निर्धारण एक कठिन कार्य है। इस प्रक्रिया की अपनी कुछ सीमाएं हैं और यह स्पष्ट है कि विश्व के प्रत्येक क्षेत्र या फिर राष्ट्र का विकास एक समान नहीं हुआ है। इनके सामाजिक, सांस्कृतिक प्रतिमान एवं ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया भिन्न-भिन्न रही है।

इन जटिल परिस्थितियों में लोक सेवकों को अपना काम करना पड़ता है। इन दुविधाजनक क्षणों में मूल्य व मानक ही वे सूत्र हैं, जो उनके व्यवहार को सही दिशा देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं तथा परिस्थितिजन्य आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करने में अथवा निर्णय लेने में मदद करते हैं।

सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर-तरफदारी

सिविल सेवकों के विशेष दायित्व होते हैं, क्योंकि वे समुदाय द्वारा सौंपे गए संसाधनों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे समुदाय को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, जो समुदाय के जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं। समुदाय को यह उम्मीद करने का अधिकार है कि सिविल सेवक निष्पक्ष रूप से उचित और कुशलतापूर्वक कार्य करें। यह जरूरी है कि समुदाय सिविल सेवक निर्णय-निर्माण प्रक्रिया की निष्ठा में भरोसा और विश्वास करें।

सिविल सेवा के अन्दर यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनके निर्णय और कार्य तत्कालीन सरकार की नीतियों और उन मानकों को परिलक्षित करें, जिसकी समुदाय सरकारी सेवकों के रूप में उनसे उम्मीद करता है। यह उम्मीद कि सिविल सेवा उत्तरोत्तर सरकारों की सेवा करने में एकसमान पेशेवरशीलता, प्रतिक्रियाशीलता और निष्पक्षता के मानक बनाए रखेंगे। लोकतंत्र में एक कुशल सिविल सेवकों में मूल्यों का एक समूह होना चाहिए, जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करें।

एकीकरण, सरकारी सेवा के प्रति समर्पण, निष्पक्षता, राजनीतिक तटस्थता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति सहिष्णुता एवं सहानुभूति, एक कुशल सिविल सेवक की विशेषताएं समझी जाती हैं। कुछ देशों में इन विशेषताओं को कानूनों में समाहित किया गया है, उदाहरणार्थ ऑस्ट्रेलिया और कुछ अन्य देशों में उन्हें संबंधित संविधानों में शामिल किया गया है।

सिविल सेवा संहिता

सिविल सेवा संहिता में उल्लेखित मूल्यों का अर्थ–

- 'कर्त्तव्यनिष्ठा' का अर्थ, सार्वजनिक सेवा के दायित्वों को अपने खुद के हितों से ऊपर रखना है।
- 'ईमानदारी' का अर्थ सच्चा और खुला होना है।
- 'उद्देश्यपरकता' का अर्थ अपनी सलाह और निर्णयों को साक्ष्य के कठोर विश्लेषण पर आधारित करना है।
- 'निष्पक्षता' का अर्थ निष्पक्ष रूप से मामले के गुणावगुणों के अनुसार कार्य करना तथा उतनी ही अच्छी तरह के भिन्न-भिन्न राजनीतिक सिद्धांतों वाली सरकार की सेवा करना है।

इन महत्वपूर्ण मूल्यों से सरकार को समर्थन प्राप्त होता है तथा सिविल सेवाओं द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों में उच्चतम संभव मानकों की उपलब्धि सुनिश्चित होती है। बदले में इससे सिविल सेवक को मंत्रियों, संसद, जनता और इसके ग्राहकों का सम्मान प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने में मदद मिलती है। सिविल सेवकों से अपेक्षित कर्त्तव्यनिष्ठा और वफादारी का उल्लेख करने के अलावा संहिता में संसद या जनता को धोखा देना, पदों का दुरुपयोग और गोपनीय सूचना का अनाधिकृत प्रकटन निषिद्ध है। संहिता में उपयुक्तता और आत्मज्ञान के मामलों के संबंध में स्वतंत्र सिविल सेवा आयुक्त के समक्ष अपील करने की व्यवस्था है, यदि प्रश्नगत समस्या का समाधान विभाग के अन्दर न हो।

सार्वजनिक सेवा विधेयक 2007 के मसौदे में सार्वजनिक सेवा और सरकारी सेवक अपने कार्यों के निपटान में निम्नलिखित मूल्यों द्वारा मार्गदर्शित होने का उल्लेख करते हैं:

1. देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को कायम रखना।
2. संविधान और राष्ट्र के कानून के प्रति निष्ठा।
3. उद्देश्यपरकता, निष्पक्षता, ईमानदारी, विवेक, विनम्रता और पारदर्शिता; तथा
4. पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखना।

7

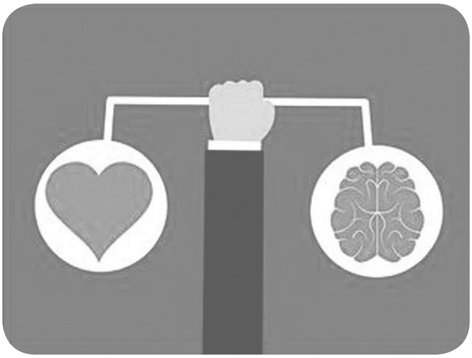

भावनात्मक समझ

भावनात्मक समझ से तात्पर्य व्यक्ति का अपने तथा दूसरों के मनोभावों को समझना, उन पर नियंत्रण करना और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उनका सर्वोत्तम उपयोग करना है। भावनात्मक समझ दूसरों से व्यवहार करते समय व्यक्ति के संवेगों और अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती है, ताकि शांति और सामंजस्य विकसित किया जा सके।

भावनात्मक समझ आधुनिक तंत्रिका विज्ञान में प्रचलित दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें भावनात्मकता को तर्कसंगत सोच में बाधाओं या व्यवधानों के बजाय, इन्हें हमारे परिवेश के बारे में उपयोगी विवरणों के स्त्रोत के रूप में संरचित किया जाता है।

भावनाएं: भावनाएं एक व्यक्ति के मन की अवस्था है, जो कि आतंरिक और बाह्य प्रभावों से अंत:क्रिया करता है, की जटिल मनोसामाजिक प्रक्रिया का अनुभव है।

प्लूटचिक के अनुसार 8 प्राथमिक भावनाएं- गुस्सा, दृढ़, दु:खी होना, घिन आना, आश्चर्य, जिज्ञासा, स्वीकृति और खुशी हैं।

बुद्धिमत्ता (समझ): इसका आशय स्थिति को समझने, सविवेक चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी माध्यम से उपयोग करने की व्यापक क्षमता से है।

भावनात्मक समझ

विकासमान जीव विज्ञान और तंत्रिका-विज्ञान के प्रमाण यह बताते हैं कि वास्तव में भावनाएं कहीं अधिक कुशाग्र होती हैं और समूह बुद्धि तथा सामाजिक पूंजी के निर्माण में भावनात्मक समझ या बुद्धिमत्ता (EI- Emotional Intelligence), बुद्धिलब्धि (IQ-Intelligence Quotient) की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। बैठकों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में, जब लोग एक-दूसरे से सहयोग कि लिए आते हैं, उनमें सामूहिक आईक्यू, उपस्थित लोगों के बौद्धिक ज्ञान एवं कौशल का कुल जोड़, प्रबल होता है।

वास्तव में सामूहिक बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होता है, वह औसत या सर्वोच्च आईक्यू नहीं होता, वरन् भावनात्मक बुद्धिमत्ता या समझ होता है। उस समूह में मौजूद निम्न भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला एकमात्र व्यक्ति संपूर्ण समूह के सामूहिक आईक्यू को कमजोर कर सकता है। एक उदाहरण के द्वारा इसे समझा जा सकता है:

''मान लीजिए कि एक भयंकर प्राकृतिक आपदा घटित हो गई है। राहत एवं पुनर्वास के लिए केन्द्र एवं राज्य तथा विभिन्न विभागों के मध्य बेहतर समन्वयन की जरूरत है। संक्षेप में यह कि निर्णय लोगों द्वारा लिया जाना है। कल्पना कीजिए कि सारे अधिकारी भविष्य की रणनीति पर बैठक में विचार कर रहे हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि समूह में शामिल सभी लोगों का संयुक्त बुद्धि व कौशल, सामूहिक आईक्यू है। तभी किसी विभाग के प्रधान की क्रोध की भावना (निम्न भावनात्मक बुद्धिमत्ता) उबल पड़ती है और गरमा-गरम बहस शुरू हो जाती है। इससे पूरी बैठक की दिशा बदल जाती है और चर्चा अपनी दिशा खो देता है। यहां एक व्यक्ति की निम्न भावनात्मक बुद्धिमत्ता ने उच्च सामूहिक बुद्धि यानी ग्रुप आईक्यू पर प्रभावी होते हुए विमर्श को बिगाड़ दिया।

भावनाओं के बौद्धिक निर्देशन के बिना मनुष्य नम्य होकर परिस्थिति का प्रत्युत्तर नहीं दे सकता है। सही समय एवं सही जगह का फायदा नहीं उठा सकता, अस्पष्ट एवं विरोधाभासी संदेशों की भावना को नहीं समझ सकता। परिस्थिति के अलग-अलग तत्वों की महत्ता को नहीं पहचान सकता, परिस्थितियों के बीच की समानताओं का पता नहीं लगा सकता।

पुरानी अवधारणाओं एवं नयी अवधारणा का एकीकरण कर नया मार्ग नहीं बन सकता या फिर कोई अनूठा मार्ग विकसित नहीं कर सकता। भावनाओं के मार्गदर्शन के बिना हम विवेकी नहीं हो सकते।

भावनात्मक समझे वाले व्यक्ति:

- खुद पर हंस सकते हैं।
- अपने सबल पक्षों का कहां इस्तेमाल करें और अपनी कमजोरी की क्षतिपूर्ति कैसे करें, के बारे में जानते हैं।
- दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखते हैं और उनके साथ सहानुभूति रखते हैं।
- नीतिशास्त्रीय कार्य करते हैं तथा सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता के जरिये विश्वास का निर्माण करते हैं।
- खुद की गल्तियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं।
- नए विचारों एवं नई सूचनाओं के साथ सहज होते हैं।
- समूह की भावनात्मक धाराओं को सुनने तथा मजबूत संबंधों को जानने में कुशल होते हैं।
- समझौता कर सकते हैं एवं मतभेदों को सुलझा जा सकती हैं।
- दूसरे लोगों को सुनते हैं और यह जानते हैं कि प्रभावी ढंग से कैसे संचार किया जाये।

8

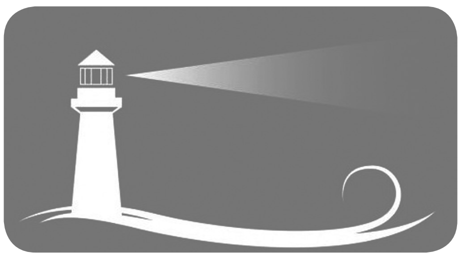

भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान

'नैतिक' शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है- संकुचित एवं व्यापक। संकुचित अर्थ में 'उचित' को नैतिक कहते हैं तथा 'अनुचित' को अनैतिक। वृहत् या व्यापक अर्थ में 'नैतिक' का अर्थ है नैतिक गुणसंपन्न। जिन क्रियाओं का नैतिक निर्णय हो सके तथा जिन्हें उचित या अनुचित, पाप या पुण्य कहा जा सके, उन्हें नैतिक कर्म कहते हैं।

नैतिक कर्मों को ऐच्छिक कर्म (Voluntary Actions) भी कहते हैं। वैसा कर्म जो चेतन रूप से इच्छा या चुनाव करके किया जाता है, उसे ऐच्छिक कर्म कहते हैं। उन कर्मों के संपादन में मनुष्य का इच्छा-स्वातंत्र्य रहना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति दबाव में आकर कर्म करता है, तब उसके कर्म को ऐच्छिक कर्म नहीं कहा जा सकता है। नैतिक निर्णय के अंतर्गत सभी ऐच्छिक क्रियाएं आ जाती हैं। नैतिक कर्म का एक यह महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसका कर्त्ता सदैव एक विवेक संपन्न व्यक्ति होना चाहिए।

दर्शन (Philosophy)

दर्शन मनुष्य का बौद्धिक प्रयास है, जो तर्क संगत और निष्पक्ष तरीके से किया जाता है। यह जीवन की कला है। इसके द्वारा जीवन के अर्थ और आधारभूत मूल्यों व मान्यताओं को समझने का प्रयास किया जाता है। दर्शन परम सत्य की खोज अथवा अनुसंधान करता है। यह हमारे सभी प्रकार के अनुभवों से संबंधित मूल तत्वों अथवा आधारभूत मान्यताओं की तर्कसंगत एवं निष्पक्ष परीक्षा करता है और उसके संबंध में केवल तर्क के आधार पर अपना मत निश्चित करता है। इसमें चिंतन, तर्क और विश्लेषण का सर्वप्रमुख स्थान होता है। यह जीवन और जगत (ब्रह्माण्ड) के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करता है।

'Philosophy' (दर्शनशास्त्र) शब्द ग्रीक शब्दों 'philos' और 'वचीपं' से लिया गया है, जहाँ 'philos' का अर्थ है प्रेम तथा 'sophia' का अर्थ है ज्ञान या बुद्धिमत्ता। इस प्रकार, दर्शनशास्त्र (Philosophy) का अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम एवं एक दार्शनिक वह व्यक्ति होता है जो निरंतर ज्ञान की खोज करता है।

भारतीय संदर्भ में 'दर्शन' संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है 'देखना' या 'खोजना'। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से 'दर्शन' का अर्थ है 'सत्य का अनुसंधान' अथवा 'सत्य की खोज'। जो निष्पक्ष विचार एवं तर्क के आधार पर जीवन के मूल सत्यों का अनुसंधान करता है, वही दर्शन है। भारत में दर्शन की उत्पत्ति जगत और जीवन को जानने की प्रबल एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति के फलस्वरूप हुई है। भारतीय दर्शन के बीज हमें उपनिषदों में मिलते हैं, जो हिन्दुओं का प्रसिद्ध धर्मग्रंथ है।

आधुनिक नैतिक दर्शन (Modern Moral Philosophy)

20वीं शताब्दी में नैतिक सिद्धांत व मान्यताएं पहले से अधिक जटिल हो गयी हैं; क्योंकि इसकी विषयवस्तु अब किसी कार्य या व्यवहार के औचित्य या अनौचित्य के परीक्षण तक सीमित नहीं रह गई है। अब तो नैतिक प्रतिमानों व मूल्यों के कई स्तर उभर कर आए हैं और आधुनिक नैतिक दर्शन अब इन नये प्रतिमानों की मीमांसा में अधिक रुचि लेने लगा है। डब्ल्यू.डी. रॉस के विचार में तो पारम्परिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर अब किसी कार्य या व्यवहार को सीधे तौर पर सही या गलत नहीं ठहराया जा सकता।

पारम्परिक नैतिक मान्यताओं के आधार पर उपकार, ईमानदारी अथवा न्याय जैसे मूल्यों के विचार से किसी कार्य के बारे में सिर्फ यह बताया जा सकता है कि उनके सही या गलत की संभावनाएं क्या है? कुछ दार्शनिकों का तो यह मानना है कि अब नैतिक सिद्धांतों को विभिन्न संदर्भों में स्पष्ट रूप से परिभाषित करना भी संभव नहीं रह गया है। तात्पर्य यह है कि वर्तमान संदर्भ में ये सिद्धांत अब बहुत स्पष्ट नहीं रह गए; बल्कि इनसे दुविधा की स्थिति उत्पन्न होने लगती है।

आधुनिक नैतिक दर्शन का केन्द्रीय विषय कुछ और नहीं, बल्कि 'अधिकारों पर आधारित नीतिशास्त्र' बन चुका है। यह नीतिशास्त्र मुख्य रूप से मानवाधिकारों तथा मानव से जुड़े अन्य अधिकारों एवं मौलिक सिद्धांतों की मीमांसा करता है। अधिकार पर आधारित मौलिक सिद्धांत इस तर्क पर आधारित है कि कुछ ऐसे अधिकार व उन्मुक्तियां हैं, जिन पर लोगों का दावा स्वाभाविक है, जैसे उदारवादी सिद्धांतों के अन्तर्गत लोगों के बोलने, समुदाय बनाने तथा धर्म संबंधी स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है। वस्तुतः ये आधुनिक नैतिक दर्शन व सिद्धांत मुख्य रूप से मानवाधिकारों, नागरिक अधिकारों, राजनीतिक अधिकारों तथा सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर ही मुख्य रूप से बल देते हैं।

9

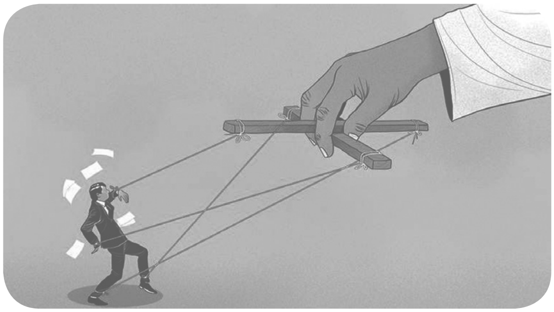

लोक प्रशासन में लोक/सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र

लोक प्रशासन सरकार की कार्यपालिका शाखा का प्रतिनिधित्व करता है। यह मूलतः सरकारी गतिविधियों के प्रभावकारी निष्पादन से संबंधित तंत्र और उसके प्रावधानों का अध्ययन है। प्रशासन की परिभाषा कुछ सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए गए सहकारी, मानवीय प्रयासों के रूप में दी जाती है। लोक प्रशासन, प्रशासन का वह प्रकार है, जो एक विशेष राजनीतिक व्यवस्था में संचालक का काम करता है। यही वह साधन है, जो नीति निर्माताओं द्वारा किए गए नीतिगत निर्णयों और कार्य संपन्न करने की पूरी योजना के बीच संबंध स्थापित करता है।

लोक प्रशासन का काम उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करना, विधायिका तथा नागरिक संगठनों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें साथ लेकर काम करना, संगठनों की स्थापना करना तथा उनका पुनरावलोकन करना, कर्मचारियों को निर्देश देना एवं निरीक्षण करना, नेतृत्व प्रदान करना आदि है। यह वह साधन है, जिसके द्वारा सरकारी उद्देश्यों और लक्ष्यों को वास्तविक रूप प्रदान किया जाता है।

लोक प्रशासन से जुड़ा हुआ 'लोक' शब्द इस अध्ययन शाखा को खास विशेषताएं प्रदान करता है। इस शब्द को सामान्यतः सरकार के रूप में समझना चाहिए। अतः लोक प्रशासन का अर्थ हुआ सरकारी प्रशासन। इसमें नौकरशाही पर विशेष बल दिया जाता है। सामान्य बातचीत में लोक प्रशासन से यही अर्थ लगाया जाता है। यदि 'लोक' शब्द का व्यापक अर्थ लगाया जाए तो ऐसा कोई भी प्रशासन, जिसका 'लोक' पर व्यापक प्रभाव पड़ता हो, इस अध्ययन-शाखा की सीमा के अंतर्गत माना जाएगा। नौकरशाही के कार्यों को विस्तृत करने के क्रम में सरकार के बढ़ते हुए महत्व के कारण लोक प्रशासन बहुत ही ज्यादा जटिल और विशेषीकृत होता जा रहा है।

लोक सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्रः स्थिति तथा समस्याएं

लोकतंत्र एक सत्ता की अवस्था नहीं है। यह एक नैतिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में एक परिपक्व लोकतंत्र की ओर बढ़ते देशों ने मूल्यों और सिद्धन्तों को ज्यादा से ज्यादा विस्तृत धारणा कायम की है। यहां तक कि अत्यधिक उच्च विकास वाले देशों में ये सिद्धान्त भ्रष्टाचार स्कैण्डल का सामना कर रहे समाज के रूप से अचानक ही ज्यादा प्रसरणशील बन जाते हैं। व्यवहार जो कि पूर्व में स्वीकारणीय समझा गया था सिद्धान्तों के नजरिये से देखें जाने की वजह से उसकी भर्त्सना की जाती है।

सिद्धान्तों का यह नजरिया कार्यों को प्रायः ऐसे व्यक्ति के अस्वीकार्य व्यवहार के रूप में देखता है, जो लोकहितों का अस्थायी प्रबंधक है। जब मूल्य और सिद्धान्त लोक सेवा का मुख्य बिन्दु होते हैं, तो वे अपूर्वाभासी घटनाओं के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं।

लोक प्रशासन में 'नैतिकता' परंपरागत मूल्यों और आचार संहिता से जुड़ी हुई होती है। नोलन समिति ने लोकजीवन के सात सिद्धान्त तय किए हैं, समिति का मानना था कि सभी प्रकार की लोक सेवाओं में लागू किया जाना चाहिए। ये हैं-

(i) **निःस्वार्थपरकताः** लोक कार्यालयों के कर्मचारियों को पूरी तरह जनहित के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। उन्हें अपने लिए, अपने परिवार या मित्रों के लिए वित्तीय या अन्य प्रकार के लाभ पाने की आशा से कार्य नहीं करना चाहिए।

(ii) **सत्यनिष्ठाः** लोक कार्यालयों कि कर्मचारियों को अपने संस्थान के बाहर किसी व्यक्ति या संगठन के लिए वित्तीय या अन्य बाध्यताओं में नहीं बंधना चाहिए, जो उनके आधिकारिक कर्त्तव्य पालन को किसी न किसी तरह से प्रभावित कर सके।

(iii) **वस्तुनिष्ठताः** कार्यों जैसे- कार्यालयी नियुक्तियां करना, ठेके आवंटित करना तथा पुरस्कार या लाभों के लिए व्यक्ति विशेष की संस्तुति करना आदि के लिए निर्णय लेते समय लोक अधिकारियों को वरीयता क्रम को प्राथमिकता देनी चाहिए।

(iv) **जवाबदेहिताः** लोक-अधिकारी जनता के प्रति लिए गए अपने निर्णयों और किए गए कृत्यों के लिए जवाबदेय होते हैं तथा इन्हें अपने कार्यालय में होने वाली किसी भी जांच में पूरे समर्पण के साथ सहयोग देना चाहिए।

(v) **खुलापनः** लोक-अधिकारियों को अपने द्वारा लिए गए निर्णयों और कृत्यों के लिए जितना संभव हो सके उतना खुला दृष्टिकोण रखना चाहिए। उन्हें अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए सुख देना चाहिए तथा व्यापक लोकहितों की हानि होने की संभावना पर ही सुचनाओं को प्रतिबंधित करना चाहिए।

(vi) **ईमानदारीः** लोक-अधिकारियों का यह कर्त्तव्य होता है कि वे उनके सार्वजनिक कर्त्तव्यों से संबंधित निजी हितों की घोषणा करें तथा लोकहितों की सुरक्षा के रास्ते में उभरे द्वन्द्वों/संघर्षों को सुलझाने के लिए कदम उठाए।

(vii) **नेतृत्वः** लोक-अधिकारियों को इन सिद्धान्तों को नेतृत्व और उदाहरण देकर संदर्भित और संवर्द्धित करना चाहिए।

नोटः समतामूलक समाज का निर्माण तभी किया जा सकता है, जब सार्वजनिक जीवन में निष्पक्षता के उच्चतम सिद्धांतों का पालन किया जा सके।

वर्तमान समय में अब्राहम लिंकन के शब्द बहुत प्रसांगिक है कि, ''लगभग सभी पुरुष विपरीत परिस्थितियों के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी पुरुष के चरित्र का परीक्षण करना चाहते हैं, तो उसे शक्ति दें।''

10

अंतरराष्ट्रीय संबंध और नैतिकता

अंतरराष्ट्रीय नैतिकता का अर्थ, राष्ट्रों के बीच संबंधों के नियमन हेतु नैतिकता या आचार संहिता से है। इसके अंतर्गत वे नैतिक सिद्धांत शामिल हैं, जो अनेक अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रमुख स्रोत और उनके औचित्य का निर्धारण करते है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक संबंधों एवं हर प्रकार के आदान-प्रदान का वैश्विक समुदाय से प्रत्यक्ष संबंध होता है। अगर ये संबंध अच्छे हों तो यह मानव सभ्यता के लिए हितकारी साबित होता है। परंतु अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कटुता, असहयोग और शत्रुतापूर्ण भावनाओं का प्रवेश हो जाए तो यह वैश्विक समाज के लिए हानिकारक परिणाम लाता है। अंतरराष्ट्रीय नैतिकता की जब हम बात करते हैं, तो उसका अभिप्राय इन्हीं तथ्यों से है, जिनसे वैश्विक समाज अनुकूल या प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।

अंतरराष्ट्रीय नैतिकता ही वह दृष्टि प्रदान करती है, जिससे यह पता चलता है कि दो देशों के बीच कैसा बर्ताव रखते हैं तथा एक देश के द्वारा किस तरह किसी दूसरे देश को हानि पहुंचायी जा रही है। अतः अंतरराष्ट्रीय नैतिकता वह प्रयास है, जिसके माध्यम से व्यक्ति और राष्ट्र अपनी सक्रिय भागीदारी द्वारा एक स्वस्थ और बेहतर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के निर्माण व विकास में अपना योगदान प्रस्तुत करता है। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ की भिन्न-भिन्न एजेंसियों द्वारा अपनी उपस्थिति एवं कार्यों से कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों को प्रोत्साहन दिया जाता है। इन सिद्धांतों का संबंध किसी एक देश या फिर किसी राष्ट्र विशेष में प्रचलित सिद्धांतों से नहीं होता, बल्कि राष्ट्र और राज्य की सीमाओं से परे जाकर इन सिद्धांतों द्वारा एक स्वस्थ वैश्विक समाज की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता

यह अध्ययन की वह शाखा है, जिसका सरोकार मानवीय कर्त्तव्य से जुड़े सिद्धांतों से होता है। अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में नैतिकता का अभिप्राय कर्त्तव्यों के अध्ययन से है, परंतु ये कर्त्तव्य किसी देश या समुदाय तक सीमित नहीं होते; बल्कि इनकी प्रकृति सार्वभौम होती है, अर्थात् राष्ट्रों की सीमाओं से परे जाकर ये कर्त्तव्य मानव-मात्र के लिए प्रासंगिक होते हैं। कर्त्तव्यों की प्रकृति के अध्ययन का तात्पर्य यह जानना है कि राष्ट्रीय राज्यों में आबद्ध समुदायों का अपने सीमा क्षेत्र से बाहर के नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए तथा अलग-अलग राष्ट्रों के समुदायों के बीच फर्क करना कहां तक उचित है? यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अनुशासन का तात्पर्य उन मुद्दों पर विमर्श करना है, जिनका संबंध नैतिकता के प्रश्नों से जुड़ा होता है। वर्तमान में ध्यान देने योग्य जो नैतिक समस्याएं हैं, उनका संबंध अंतरराष्ट्रीय संबंध से भी है, जिनमें किसी देश या समूह द्वारा हिंसा के प्रयोग को न्यायोचित ठहराने के सवाल से लेकर विश्व के आर्थिक लाभ एवं बोझों के वितरण तक के मुद्दे शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत का भी मानना है कि संप्रभु देशों का नैतिक व्यवहार वर्तमान में एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर काफी चर्चा होती रहती है। मरविन फ्रॉस्ट भी अंतरराष्ट्रीय नैतिकता से जुड़े कुछ प्रश्नों का उल्लेख करते हैं। जैसे- एक संप्रभु देश द्वारा दूसरे संप्रभु देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, किसी स्थिति में जायज नहीं माना जाएगा। किसी राज्य द्वारा युद्ध की शुरुआत किन परिस्थितियों में उचित ठहराई जा सकती है? ये सारे प्रश्न अंतरराष्ट्रीय नैतिकता के केंद्रीय विषय हैं।

अंतरराष्ट्रीय नीतिशास्त्र की मौजूदा स्थिति कई कारकों का परिणाम है। परमाणु अस्त्र की खोज एवं परमाणु अस्त्रों ने मौलिक नैतिक मुद्दों को उठाया है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ से लेकर पूरे शीत युद्ध के दौरान चर्चा का विषय बना रहा। वियतनाम में अमेरिकी अनुभव ने कई दार्शनिकों को युद्ध में जाने तथा युद्ध लड़ने की नैतिकता पर सोचने के लिए विवश किया। देशों की लगातार बढ़ रही अंतर्निर्भरता ने वैश्विक न्याय के मुद्दे और ऐसे मुद्दों को उभारा, जिसकी उपेक्षा करना कठिन है।

विभिन्न उपागमों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय नीतिशास्त्र

अन्तरराष्ट्रीय मामलों के भिन्न-भिन्न उपागमों का अंतरराष्ट्रीय नैतिकता पर पड़ने वाले प्रभावों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है:

- यथार्थवाद
- आदर्शवाद
- रचनात्मकतावाद
- विश्व बंधुत्व
- जीवन की समानता

यथार्थवाद और अंतरराष्ट्रीय नैतिकता (Realism and International Ethics): यथार्थवाद के अंतर्गत यह धारणा है कि अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में एक तथ्य जो सचमुच मायने रखता है, वह है शक्ति संपन्नता, अर्थात् एक राष्ट्र कितना शक्तिशाली है? बाकी कुछ भी इस संदर्भ में प्रासंगिक नहीं होता; नैतिकता, नीतिशास्त्र, कानून, राजनीतिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था या फिर सांस्कृतिक पक्ष। यथार्थवाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इन तथ्यों की भूमिका को स्वीकार नहीं करता तथा इन्हें अप्रासंगिक मानता है। यथार्थवाद के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मामले एक प्रकार से अराजकतावाद की स्थिति है; जहां कोई कानून नहीं चलता।

11

शासन व्यवस्था में ईमानदारी

ईमानदारीपूर्वक अपने कर्त्तव्य का पालन नैतिक आचरण का प्रमाण है। यहां ईमानदारी का अर्थ व्यापक है, जिसमें न्यायनिष्ठा, सत्यनिष्ठा तथा स्पष्टवादिता जैसे सद्‌गुणों को भी शामिल किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों तथा एजेंसियों के 'ईमानदार' होने का मतलब सिर्फ भ्रष्टाचार से दूर रहना ही नहीं है। अगर लोक सेवक ईमानदार है तो इसका अर्थ यह है कि उन्हें सत्यता, तटस्थता, जवाबदेयता तथा पारदर्शिता जैसे नैतिक मूल्यों का भी अनुसरण करना है।

शासन में ईमानदारी का तात्पर्य उच्च नैतिक मानकों, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता एवं जवाबदेही का पालन करना है। यह निष्पक्षता सुनिश्चित करती है, जनता का विश्वास बढ़ता है, भ्रष्टाचार को रोकती है तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सरकारी संस्थानों के उत्तरदायी कामकाज को बढ़ावा देती है। वैध, नैतिक एवं प्रभावी शासन प्रणालियों के लिए ईमानदारी अति आवश्यक है।

सरकारी क्षेत्र में ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना प्रत्येक लोक सेवक का कर्त्तव्य है। यह प्रशासन के प्रत्येक स्तर में यथा कार्यप्रणाली, पद्धति एवं आचरण में परिलक्षित होना चाहिए; ताकि प्रशासन में नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित किया जा सके।

लोक सेवा की अवधारणा

'लोक सेवाओं' को सामान्यतः सरकार द्वारा संयोजित ऐसी नागरिक सेवाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो सरकार की योजनाओं तथा कार्यक्रमों को व्यावहारिक रूप प्रदान कर सकें। आमतौर पर लोक सेवा से अभिप्राय सरकारी तंत्र की उस शाखा से होता है, जिसका सरोकार कानून बनाना नहीं, बल्कि कानून लागू करना होता है। सरकार की कार्यपालिका शाखा के दो हिस्से होते हैं- मंत्रिगण तथा लोक सेवक। लोक सेवक मंत्रियों के आदेशों पर अमल करते हैं और उन्हें नीति-निर्माण में सलाह देते हैं। ई.एन. ग्लैडन के अनुसार, "लोक सेवा एक महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठान का नाम है; जिसके अंतर्गत राज्य के केन्द्रीय प्रशासन के कर्मचारी आते हैं। इतना ही नहीं, इसका अर्थ उस भावना से है जो आधुनिक लोकतंत्र की सफलता के लिए तथा अपना जीवन समाज की सेवा में समर्पित करने वाले लोक कर्मचारियों में आदर्श व्यवसायिकता के लिए आवश्यक है"।

प्रशासनिक सेवाओं में, सार्वजनिक सेवाओं का अधिक व्यापक अर्थ इस दृष्टि से है कि लोककर्मियों के अतिरिक्त उनके अंतर्गत ऐसे कर्मचारियों की भी गणना कर ली जाती है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा पूर्ण अथवा आंशिक रूप से सरकार से सहायता प्राप्त अन्य अर्द्ध-सरकारी संगठनों में काम करते हैं। जबकि लोक सेवाओं से संबंधित पदों पर आसीन व्यक्तियों को वेतन, संचित भारतीय निधि से मिलता है, अन्यों को इस प्रकार वेतन नहीं मिलता।

सरकार (शासन) और लोक सेवा के बीच संबंध

शासन एवं प्रशासन की कला आदिकाल से ही मानव समाज की अभिन्न विशेषता रही है। शासन के लिए सरकार का कोई न कोई रूप अस्तित्व में रहा है और सरकार के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लोक सेवा से संबंधित ढांचे रहे हैं।

सरकार के निरूपण, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, सूचना-संकलन एवं मूल्यांकन के लिए लोक सेवा हमेशा ही सरकार का महत्वपूर्ण अंग रही है। इस प्रकार, लोक सेवा का प्रकार और स्वरूप निःसंदेह सरकार की किस्त और उसके द्वारा संपन्न होने वाले कार्यों की प्रकृति एवं परिमाप पर निर्भर करेगा। फलस्वरूप, जब कभी सरकार में परिवर्तन होता है, लोक सेवा में एक सीमा तक परिवर्तन अवश्य होता है।

राजनेताओं की अपेक्षा अधिकारी-तंत्र को अधिक ज्ञान, अनुभव, अंतर-राजकीय संबंधों तथा अतिरिक्त समय का लाभ प्राप्त होता है। दोनों ही दरअसल एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं।

सरकार तथा लोक सेवा के बीच संबंध यह सिद्ध करते हैं कि नीतियों के निर्धारण तथा कार्यान्वयन के बीच द्विभाजन व्यवहारतः नहीं बनाये रखा जा सकता। इतिहास ने इस बात के साक्ष्य रखे हैं कि सरकारी तथा प्रशासनिक क्रियाकलापों के बीच उपरोक्त विभेदीकरण आंशिक रूप में ही सत्य है।

सरकार के लिए केवल नीतियों के सूत्रीकरण से सरोकार रखना और 'लोक सेवा' के लिए निर्मित नीतियों के प्रशासनिक पहलू से ही जुड़े रहना असंभव-सा है। सिद्धांत एवं व्यवहार, दोनों ही दृष्टियों से, इन सीमाओं का अक्सर ही उल्लंघन देखा जाता है, जिसके फलस्वरूप संपूरकता, पारस्परिकता एवं अन्योन्याश्रितता का संबंध दोनों के बीच विकसित हुआ है। सरकार 'लोक सेवा' के लक्ष्य निर्धारित करती है और इस प्रकार इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माध्यम भी बनाती है।

लोक सेवाओं का कार्यक्षेत्र

समय के साथ लोक सेवा की भूमिका में भी परिवर्तन आ रहा है। यथास्थितिवाद की शिकार 'लोक सेवा' नई, उभरती, प्रशासनिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। लोक सेवा को स्वयं को इस रूप में ढ़ालना होता है, जो विकास प्रक्रिया, सृजनात्मक प्रशासनिक कार्यक्रमों तथा देश की सुव्यवस्थित प्रगति के अनुरूप हो।

12

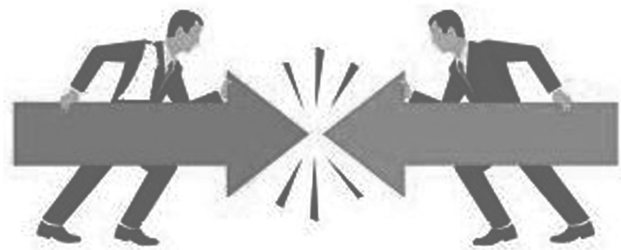

प्रशासन में हितों का संघर्ष/टकराव (CONFLICT OF INTEREST & CONFLICT IN ADMINISTRATION)

संघर्ष के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का लक्ष्य बदलाव, विधि, नीति और तकनीक के बीच संघर्ष-निवारण की समझ को विकसित करना है। यह लोगों को समझ, व्याख्या, विश्लेषण और संघर्ष के स्वरुप की घोषणा और निवारण के यंत्रों को विश्लेषित करने योग्य बनाता है।

लूमिस और लूमिस ने अवलोकन किया कि "संघर्ष मानव संबंधों में हमेशा रहने वाली एक पद्धति है"। संघर्ष सामाजिक गति, सामाजिक तंत्र और राजनीतिक विकास का एक अभिन्न हिस्सा है। मैक ने सुझाव दिया कि "संघर्ष को व्यवस्थित और शक्तिशाली सामूहिक सीमा, समूह की भिन्नताओं के लिए योगदान और बढ़ती हुई सामूहिक निकटता और एकता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वे कहते हैं, संघर्ष समूह के निर्माण को विकसित करते हैं। संघर्ष समूह को नष्ट भी कर सकते हैं, ये दोनों ही बात सत्ता या संगठनों की शक्तियों के उत्तर-चढ़ाव के कारण और अंत में एक पार्टी के संघर्ष में समाप्त हो जाने से होती है।

सरकार में हितों का टकराव
(Conflict of Interest in Government)

हितों के संघर्ष (Conflicts of Interest)

संघर्ष प्रत्येक समाज में गुप्त रूप से विद्यमान है। कुछ समाजों में यह छिपा रहता है तथा कई अन्य समाजों में यह हिंसा और विनाश के रूप में प्रकट होता है। संघर्ष व्यक्तिगत, पारिवारिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। इस प्रकार, विश्लेषण का आधार और अभिकर्ताओं का स्वरूप प्रत्येक मामलों में भिन्न होता है। यद्यपि सभी संघर्षों में कतिपय जातीय लक्षण होते हैं।

हितों में संघर्ष के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों की अनदेखी करने पर या फिर परिस्थितिजन्य आवश्यकता के अनुरूप कार्य न करने पर कई बार निर्णय लेने में कठिनाई हो जाती है और निर्णय प्रभावित हो जाता है। ऐसी ही परिस्थिति में यह समझा जाता है कि अधिकारी का आचरण उचित नहीं है और उसने अपने पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार का सहारा लिया है।

शासन व्यवस्था में लोक नीतियों के निर्माण के समय या फिर इन नीतियों के क्रियान्वयन के दौरान किसी लोक सेवक के उत्पन्न संघर्ष की स्थिति को निम्न रूपों में देखा जा सकता है–

- अवसर की समानता की स्थिति में संघर्षः समाज में अवसर की समानता को प्रोत्साहित करते समय संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके चलते क्षमता, न्याय, समानता जैसे मूल्यों में संघर्ष/टकराव उत्पन्न हो जाते हैं।
- अपराधों को रोकने से सम्बंधित नीतियों के क्रियान्वयन के समय संघर्षः सरकार द्वारा अपराधों को रोकने से सम्बंधित नीतियों के क्रियान्वयन के समय स्वतंत्रता, सुरक्षा, समानता एवं अपराध को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रियाओं तक लोगों की पहुँच के मामले में आपसी टकराव देखने को मिलाता है।
- सुरक्षा से संबंधित नीतियाँ बनाते समय संघर्षः सुरक्षा से सम्बंधित नीतियाँ बनाते समय भी टकराव की स्थिति देखने को मिलती है क्योंकि ये लोगों की स्वतंत्रता, गोपनीयता एवं निजता से सम्बंधित मूल्यों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करती है।

राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्नताएं संघर्ष को उत्पन्न कर सकती हैं। उदहारण के लिए, नर्मदा नदी पर बांध बनाना आर्थिक दृष्टिकोण से तो लाभदायक है, पर पर्यावरण के समर्थक इसे पारिस्थितिकी के लिए खतरा मानते हैं। दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ता समुदाय के विस्थापन को लेकर चिंतित हैं। इस प्रकार एक तरह से प्रत्येक स्थान पर संघर्ष की संभावना है। यह सांगठनिक स्तर पर संगठनों के बीच, देशों के बीच व किसी राष्ट्र में केन्द्रीय और राज्य में भी नजर आ सकता है। यहाँ तक कि संगठन में भी व्यक्तिगत स्तर पर भी संघर्ष हो सकते हैं।

प्रशासन में हितों का संघर्ष/टकराव

इस इकाई में निम्न मुद्दों पर चर्चा की गई (The Issues Discussed in this Unit)-

- सरकार के भीतर हितों का टकराव (Conflict of Interest in Government)
- कार्यालय के कर्त्तव्य (Office Duties)
- स्वार्थ का गुण 'वस्तुवादी नैतिकता' (The Virtue of Selfishness "The Objectivist Ethics")
- प्रशासन में संघर्ष (Conflict in Administration)
- सेवा की भावना (Spirit of Service)
- अतिव्यापी/परस्परव्याप्त और अन्तरनुभागीय जिम्मेदारियों में हितों का संघर्ष/टकराव(Conflict of Interest in Overlapping & Intersectional Roles)

13

व्यावसायिक नीतिशास्त्र

समकालीन विश्व में, संपत्ति और रोजगार सृजन करने में व्यवसाय (कॉर्पोरेट्स) की बढ़ती भूमिका और साथ ही बढ़ते व्यावसायिक धोखाधड़ी; जलवायु, पर्यावरणीय स्थिरता और मानव पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के कारण व्यावसायिकों द्वारा पालन की जाने वाली नैतिकता का अध्ययन करना आवश्यक हो गया है।

व्यावसायिक नैतिकता संभावित विवादास्पद विषयों के संबंध में उचित व्यावसायिक नीतियों और प्रथाओं का अध्ययन करती है, जिसमें व्यावसायिक प्रशासन, अंदरूनी व्यापार, रिश्वतखोरी, भेदभाव, व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेदारी, प्रत्ययी जिम्मेदारियां, और बहुत कुछ शामिल हैं। यह अध्याय व्यावसायिक प्रशासन, कामकाज, घोटालों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

व्यावसायिक नीतिशास्त्र

व्यावसायिक नीतिशास्त्र नैतिकता का वह रूप है, जो कारोबारी माहौल में पैदा हुए नैतिक सिद्धांतों और नैतिक समस्याओं की जांच करता रहता है और उनके संदर्भ में कुछ मानदंडों की स्थापना करता है। यह व्यवसाय के आचरण से जुड़े सभी पहलुओं पर लागू होता है और व्यक्तियों और व्यापार संगठनों के आचरण पर समग्र रूप से प्रासंगिक है।

व्यावसायिक नैतिकता का सीधा संबंध व्यावसायिक उद्देश्य, चलन तथा तकनीक से है, जो समाज के साथ-साथ चलन में रहते हैं। नैतिकता में मानवीय कार्यों का यह निश्चित करने के लिए आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाता है कि वे सत्य एवं न्याय जैसे दो महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर सही है या गलत। यह निष्पक्षता, अखंडता, समझौतों के प्रति प्रतिबद्धता, व्यापक सोच, विचारशीलता, मानव सम्मान और आत्म-सम्मान आदि के महत्व जैसे सिद्धांतों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

एंड्रयू क्रेन (Andrew Crane) के अनुसार, 'व्यावसायिक नैतिकता व्यावसायिक स्थितियों, गतिविधियों और निर्णयों का अध्ययन है जहां सही और गलत के मुद्दों को संबोधित किया जाता है।'

- **रेमंड सी. बॉमहार्ट (Raymond C- Baumhart)** के अनुसार 'व्यवसाय की नैतिकता जिम्मेदारी की नैतिकता है। व्यवसायी को यह वादा करना चाहिए कि वह जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाएगा।'
- **थॉमस एम. गैरेट (Thomas M- Garett) के अनुसार**, 'व्यावसायिक नैतिकता मुख्य रूप से विशिष्ट मानव आवश्यकताओं के लिए व्यावसायिक लक्ष्यों और तकनीकों के संबंध से संबंधित है'।

व्यावसायिक नीतिशास्त्र के सिद्धांत

व्यावसायिक नीतिशास्त्र के चार महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं:

- प्रचार का नियम – इस सिद्धांत के अनुसार, व्यवसायिक लोगों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वह क्या करता है।
- समतुल्य मूल्य का नियम– इसके अनुसार ग्राहक को अपने पैसों का उचित मूल्य मिलना चाहिए। मानक से नीचे, पुराने और निम्न गुणवत्ता वाला माल को ऊंचे दामों पर नहीं बेचा जाना चाहिए।
- व्यवसाय में अंत:करण का नियम– व्यवसायियों के पास व्यवसाय करते समय विवेक होना चाहिए, अर्थात क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्णय करने का नैतिक बोध होना चाहिए।
- सेवा-भाव का नियम– व्यवसाय को सेवा के उद्देश्य से महत्व देना चाहिए।

व्यवसाय में अनैतिक व्यवहार

व्यवसाय में अनैतिक व्यवहार उन कार्यों को संदर्भित करता है, जो व्यवसायिक प्रथाओं के स्वीकार्य मानकों में वृद्धि करने में विफल होते हैं।

यह निम्नलिखित रूप ले सकता है:

- प्रबंधकीय दुर्व्यवहार: यह किसी संगठन के प्रबंधन में शामिल अवैध और अनैतिक व्यवहार को संदर्भित करते हैं।
- नैतिक भूल: यह व्यावसायिक नैतिकता का एक हिस्सा है, जो श्प्रबंधन के नैतिक भूल' से संबंधित है। इसमें नैतिक समस्याएं शामिल हैं, जैसे हितों का टकराव, अनुबंधों और समझौतों का कदाचार तथा संसाधनों का अवैध उपयोग।

14

उद्धरण और कथन

ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयास करना होता है। दूसरे लोग ज्ञान को अर्जित करने में मददगार जरूर हो सकते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के साधानों पर संक्षेप में चर्चा के दौरान हमने देखा कि न्याय दर्शन मुख्य रूप से प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द को ज्ञान अर्जित करने के साधान के रूप में देखता है।

इस दुनिया और इसके बारे में होने वाले ज्ञान के बारे में दुनिया की तमाम सभ्यताएं बहुत पहले से विचार करती रही हैं। समस्याएं लगभग वही थीं और प्रत्येक सभ्यता में उन पर विचार हो रहा था। अत: इस दुनिया के बारे में अलग-अलग देशों और सभ्यताओं में हुए दार्शनिक चिन्तन को जानना एक दिलचस्प कहानी की तरह है।

'नैतिकता आपको क्या करने का अधिकार है और क्या करना सही है, के बारे में बतलाता है।'

– पॉटर स्टीवर्ट (Potter Stewart)

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पॉटर स्टीवर्ट के अनुसार 'नैतिकता आपके पास क्या करने का अधिकार है और क्या करना सही है' के बीच अंतर को दर्शाता है, इस प्रकार कानूनी आचरण नैतिक आचरण नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को बिना किसी कानून का उलंघन किए कुछ करने का अधिकार हो सकता है, परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि यह किया जाना न्यायपूर्ण है। कोई अवैध व्यवहार किए बिना अनैतिक हो सकता है। कानून किसी व्यक्ति के अधिकारों और जिम्मेदारियों का सीमांकन करता है, हालांकि इसमें नम्यता हैं कि कोई व्यक्ति अपने मजबूत नैतिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित निर्णय कैसे लेता है।

नैतिक व्यवहार में परिवर्तन की स्थिति और कार्य करने की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए परिस्थितियां अद्वितीय हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को कुछ करने का अधिकार, दूसरों के प्रति उसके नैतिक कर्तव्यों पर निर्भर करता है। नैतिकता एक व्यक्ति को तर्कसंगत बनाने के साथ ही उचित निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाता है।

नैतिकता मानव और प्राकृतिक जीवन, दूसरों के कल्याण, ईमानदार और भरोसेमंद संचार तथा व्यक्तिगत और सामूहिक स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। नैतिक मानकों में उचित विकल्प को सक्षम बनाना, समस्याओं को हल करना, सार्वजनिक हित के विषय में सोचना और निरंतर सुधार करना शामिल है। इस प्रकार, कानूनी आचरण प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति को दूसरों के प्रति एक मनुष्य के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है।

नैतिकता अप्रवर्तनीय दायित्व के लिए स्व-प्रवर्तित आज्ञाकारिता है। कानून बाहरी, अनिवार्य और वस्तुनिष्ठ है, जबकि नैतिकता आंतरिक, स्वैच्छिक और व्यक्तिपरक है। नैतिकता नैतिक आचरण का निर्धारक है, इस प्रकार सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है।

"अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुन्दर-मन वाले लोगों का देश बनना है, तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के तीन प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं- पिता, माता और गुरु।"

– ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

किसी व्यक्ति के विचार, व्यवहार और कार्य उसके मूल्यों से प्रभावित होते हैं। भ्रष्टाचार, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति और अन्यायी होना व्यक्ति में निहित अनैतिक मूल्यों का परिणाम है। इस प्रकार, एक देश को भ्रष्टाचार मुक्त और उसके नागरिकों को परोपकारी, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और दयालु आदि बनाने के लिए मता-पिता और गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। युवा पीढ़ी में नैतिक मूल्यों का समावेश जरूरी है। एक बच्चे में इन मूल्यों को विकसित करने में सबसे प्रमुख भूमिका उसके माता-पिता और गुरु की होती है। 'माता-पिता बच्चे के पहले गुरु और आदर्श होते हैं।' माता और पिता दोनों ही अपने बच्चों में मूल्यों को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे पहले लोग होते हैं, जिन्हें बच्चे देखते हैं और उनसे सीखते हैं। वे बच्चे के व्यवहार को आकार देने और उसमें सकारात्मक मूल्यों को विकास करने के लिए जिम्मेदार हैं।

गुरु अपने विद्यार्थियों के लिए आदर्श होते हैं। गुरु सच्चे अर्थों में आदर्श, उचित मार्गदर्शक, सच्चा मित्र, दार्शनिक और दूसरा अभिभावक होता है। वे भविष्य की पीढ़ी को आकार देते हैं, जिससे मूल्यों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गुरु न केवल एक स्थिर ज्ञान को प्रसारित करते हैं, बल्कि अपने अनुभवों को जोड़कर छात्रों के मूल्यों के विकास करने में मदद करतें हैं। शिक्षक लगातार छात्रों को प्रेरित करते हैं और प्रेरणा का एक मजबूत स्रोत बनते हैं। शिक्षक अपने छात्रों को समस्याओं का सामना करने और उन्हें हल करने के बारे में मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करते हैं।

15

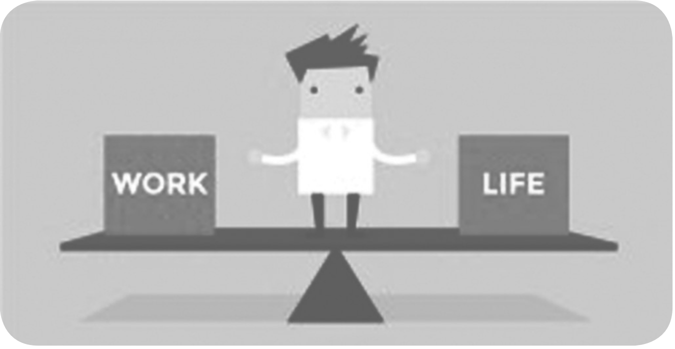

नैतिक मुद्दे

हम अपने दैनिक जीवन में कुछ नैतिक गिरावट (Ethical Lapses) को लगभग हर आयाम में पाते हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। समाचार पत्रों में हर दिन भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, घोटाले, खेलों में डोपिंग, अपराध आदि से संबंधित समाचार मौजूद रहते है। इस तरह की घटनाएं हर रोज घटित होने के कारण इतनी आम हो गयी कि अब यह सवाल किया जाने लगा है कि, क्या कोई नैतिक रूप से कार्य करता है?

नैतिकता का अध्ययन हमें जीवन से जुड़े इन्हीं वास्तविक मुद्दों पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण देता है, साथ ही यह हमें तर्कों पर पहुंचने और उन्हें जीवन में लागू करने में भी मदद कर सकता है। नैतिक सिद्धांत के आधार पर निरंतर सोचने से दुनिया से जुड़े मुद्दों के बारे में हमारी राय परिवर्तित हो सकती है।

इस अध्याय में, हम अपने दैनिक जीवन के साथ-साथ वैश्विक नैतिक चिंताओं से संबंधित कुछ सामान्य नैतिक मुद्दों को उपलब्ध करा रहे हैं। इस तरह के मुद्दे नैतिकता को जीवन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में लागू करने की व्यावहारिक समझ और ज्ञान प्रदान करते है।

समकालीन सामाजिक समस्याएं और नैतिक मुद्दे

जाति आधारित भेदभाव

भारत में जाति-आधारित भेदभाव एक गहरा सामाजिक मुद्दा बना हुआ है, जो समानता और न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करता है। यह सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कायम रखता है, बहिष्कार को बढ़ावा देता है और भारतीय संविधान में निहित समावेशी समाज के दृष्टिकोण को चुनौती देता है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए नैतिक चिंताओं, कानूनी ढांचे और प्रशासनिक चुनौतियों की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता है।

नैतिक मुद्दे

जाति-आधारित भेदभाव एक **नैतिक विफलता है** जो **व्यक्तियों को सम्मान** और **न्याय से वंचित करता है।** यह **समानता** और **निष्पक्षता के नैतिक सिद्धांतों** का उल्लंघन करता है तथा **सामाजिक अलगाव को बढ़ावा** देता है। समाज एवं प्रशासकों का नैतिक कर्तव्य एक ऐसा वातावरण बनाना है, जो **समावेशिता को बढ़ावा दे** और **प्रणालीगत पूर्वाग्रहों** को समाप्त करे।

संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

भारतीय संविधान जाति-आधारित भेदभाव से निपटने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। **अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता** सुनिश्चित करता है, जबकि **अनुच्छेद 15** और **17 जाति-आधारित भेदभाव** और **अस्पृश्यता को** प्रतिबंधित करता है। **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989** जैसे **कानून** उत्पीड़न के विरुद्ध विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा हाशिए पर स्थित समुदायों के लिए न्याय सुनिश्चित करते हैं।

हितधारक एवं उनकी भूमिका	
हितधारक	**भूमिका एवं स्वकेन्द्रित हित**
हाशिए पर स्थित समुदाय	सशक्तीकरण, न्याय एवं समानता की मांग; सामाजिक-आर्थिक असुविधाओं और भेदभाव को दूर करने का लक्ष्य।
सरकार एवं प्रशासक	कानूनों और नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिम्मेदार; समतापूर्ण शासन एवं न्याय वितरण सुनिश्चित करना।
नागरिक समाज	सुधारों की वकालत करना, जागरूकता बढ़ाना तथा इनके कार्यान्वयन की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।
प्रभुत्वशाली समूह	अपने पारंपरिक विशेषाधिकारों और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर कथित खतरे के कारण वे परिवर्तनों का विरोध कर सकते हैं।

प्रशासनिक दुविधाएं एवं प्रमुख नैतिक विचार

प्रशासकों को **सकारात्मक कार्रवाई** और **योग्यता के बीच संतुलन** बनाने, गहरे **सामाजिक पूर्वाग्रहों को दूर करने** और समतापूर्ण शासन सुनिश्चित करते हुए संभावित **प्रतिकूल प्रभावों का प्रबंधन करने** की चुनौतियों से जूझना पड़ता है।

16

नीतिशास्त्र संबंधी शब्दावली

यहां नैतिकता व नीतिशास्त्र के आधारभूत सिद्धांतों तथा व्यावहारिक नीतिशास्त्र में प्रयुक्त प्रमुख शब्दावलियों को प्रस्तुत किया गया है; ये शब्दावलियां प्रायः सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-IV के अंतर्गत प्रश्नों व केस स्टडी में प्रयुक्त की जाती हैं।

A

Absolutism/पूर्णतावाद: यह सापेक्षवाद के विपरीत नैतिक सिद्धांत है जो मूल्य या अच्छाई में विश्वास करता है। प्राचीन ग्रन्थों में पूर्णतावाद को न्याय की स्थापना के रूप में वर्णित किया गया है जिसे स्वर्ग के धरती पर अवतरण के बराबर बताया गया है।

Accountability/जवाबदेही: यह लिए गए निर्णय और किये गए कार्यों के लिए हितधारकों को स्पष्टीकरण देने या औचित्य बताने के रूप में जाना जाता है। यह उस विशिष्ट व्यक्ति से संबंधित है जो उस विशेष परिस्थिति में घटित होने वाली किसी घटना के लिए जिम्मेदार होता है।

Administrative Principles of Dominance and Subordination/प्रभुत्व और अधीनता संबंधी प्रशासनिक सिद्धान्त: प्रभुत्व और अधीनता व्यक्तित्व संबंधी प्रमुख एवं परस्पर विरोधी गुण है। प्रभुत्व का गुण अधिकार जमाने या अपने अधीन करने की भावना है वहीं अधीनता सहनशीलता की भावना को उत्पन्न करता है। इन दोनों के बीच का सामंजस्य प्रशासन को नीतियों के अधिक प्रभावशाली क्रियान्वयन का साधन बनाता है।

Afflictions/वेदना: वेदना, लगातार दर्द या तनाव को प्रतिबम्बित करता है। नीति शास्त्र में इसे शारीरिक या मानसिक कष्टों के कारक के रूप में जाना जाता है जो कुछ गलत करने से या सही कार्य न करने से उत्पन्न होता है।

Agitation/उत्तेजना: यह चिंता या घबराहट की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, जो लोगों को एक विशेष प्रकार के परिवर्तन को बलपूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है।

Ahimsa/अहिंसा: अहिंसा का अर्थ 'घायल न करना' तथा 'करुणा' के रूप में लिया जाता है, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ सनातन धर्म में एक प्रमुख गुण के रूप में जाना जाता है। यह शब्द संस्कृत 'हैन' धातु से बना है जिसका अर्थ चोट पहुंचाना होता है। इसे हिंसा के विलोम/विपरितार्थक शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता है यानि कोई चोट या कोई नुकसान नहीं पहुंचाना 'अहिंसा' है। इसे गैर-हिंसा के रूप में भी जाना जाता है।

Altruism/परोपकारिता: नीतिशास्त्र में परोपकारिता स्वार्थ या अहंकार के विपरीत, दूसरों के लिए निस्वार्थ भावना से कार्य करने के गुण के रूप में जाना जाता है।

Alienation/वैराग/परायापन: यह पराया होने के अनुभव या अवस्था के रूप में जाना जाता है। अलगाव को अवधारणा के स्तर पर मनोवैज्ञानिक या सामाजिक बीमार के रूप में भी जाना जाता है जिसमें एक व्यक्ति अपने करीबी लोगों के बीच भी अलग-थलग महसूस करने की समस्या से ग्रस्त होता है।

Ambiguity/अस्पष्टता: यह एक या एक से अधिक समाधानों की उपलब्धता तथा उनमें से किसी एक का चयन नहीं कर पाने की स्थिति को दर्शाता है। लोकसेवा में अस्पष्टता की स्थिति बचना अच्छा होता है। जब कार्यवाही अस्पष्ट होगी तो दूसरों को उसके लिए सहमत कर पाना संभव नहीं होता है।

Anchor/मार्गदर्शक: नीतिशास्त्र में, मार्गदर्शक उस व्यक्ति को मानता है जो लोगों को सुरक्षित एवं विश्वास से युक्त महसूस कराता है तथा उसपर लोगों को भरोसा होता है।

Anthropocentrism/मानव-केन्द्रित विचारधारा (मानव शास्त्रीय विचारधारा): यह मानव विकास संबंधी मानवीय प्राथमिकता वाले अर्थात "मानवशास्त्रीय" दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। दर्शनशास्त्र इस दृष्टिकोण में, मनुष्य को एकमात्र या प्राथमिक नैतिक स्थिति का धारक माना जाता है।

Anxiety/उद्वेग: उद्वेग एक भावनात्मक गुण है जो आंतरिक अशांति की अप्रिय स्थिति को दर्शाता है, यह अक्सर उदासी एवं क्रोध के रूप में दिखाता है इसके अंतर्गत चिंता करना, बेवजह क्रोध आना, झुंझलाहट होना, शरीर में दर्द होना, अस्थिर मानसिक स्थिति आदि के लक्षण दृष्टिगत होते हैं।

Apathetic/उदासीनता: उदासीनता, भावनात्मक अलगाव या दमन की एक स्थिति है जिसके अंतर्गत स्वयं द्वारा चिंता, उत्तेजना, प्रेरणा या जुनून जैसी भावनाएं दमित कर दी जाती है। एक उदासीन व्यक्ति में भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, भौतिक जीवन या दुनिया के बारे में रुचि या लगाव का अभाव हो सकता है।

Applied Ethics/व्यावहारिक नीतिशास्त्र: यह नैतिक विचारों के व्यावहारिक अनुप्रयोग को संदर्भित करता है। यह वास्तविक दुनिया में कृत व्यवहार का सम्मान करता है, साथ ही यह निजी और सार्वजनिक जीवन, पेशे, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, कानून और नेतृत्व के क्षेत्रों में नैतिक विचारों एवं नैतिकता के रूप में प्रकट/प्रयुक्त होता है।

Appreciation/अभिमूल्यन: यह किसी कृत्य या वस्तु के महत्व एवं मूल्य को समझने या मान्यता देने की क्रिया है। नैतिक अभिमूल्यन में नैतिक एवं सांस्कृतिक मानवीय तत्व अंतर्निहित है।

Aptitude/अभिवृत्ति: योग्यता या अभिवृत्ति समय के साथ कौशल सीखने या विकसित करने की हमारी क्षमता है, जो शारीरिक या मानसिक हो सकती है। अर्थात अभिवृत्ति ज्ञान, समझ, सीखा या अधिग्रहित योग्यता (कौशल) या दृष्टिकोण नहीं है वरन सीखने की क्षमता है।

Administrative Discretion/प्रशासनिक विवेक: लोक अधिकारियों का कार्य सिर्फ नीति क्रियान्वयन तक ही सीमित न होकर लोगों के जीवन से संबंधित निर्णयों से भी जुड़ा होता है। ऐसा करते समय वे अपने विवेक का प्रयोग करते हैं जिससे नैतिक दुविधा का भी समाधान किया जा सके।

Assumption/धारणा: धारणा अभिवृत्ति, विश्वास, मत अथवा व्यवहार/आचरण को परिवर्तित करने या निर्धारित (निर्मित) करने की प्रक्रिया है।

Attitude/अभिवृत्ति: अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या विचार के प्रति सकारात्मक, नकारात्मक या उदासीन भावना है, जिसका संबंध एक प्रकार के व्यवहार से है, जो कार्य करने के तरीके या वाह्य विश्व के साथ सम्बन्धों के रूप में परिभाषित होता है।

Authoritarian Style/अधिनायकवादी शैली: जब कोई नेता अधीनस्थों या नागरिकों की सार्थक भागीदारी के बिना नीतियों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के साथ सभी गतिविधियों को भी निर्देशित और नियंत्रित करता है तो नेतृत्व की इस शैली को अधिनायकवादी शैली कहा जाता है। इसमें नेता ही तय करता है कि लक्ष्यों को किस रूप में प्राप्त किया जाना है, क्या प्राप्त करना है और क्या प्राप्त नहीं करना है।

Awareness/जागरूकता: जागरूकता किसी स्थिति या तथ्य से संबंधित ज्ञान या धारणा है। यह किसी चीज के घटित होने के संबंध में क्या, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों का समाधान से सम्बंधित होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने आस-पास एवं विश्व की बेहतर समझ विकसित करने में सक्षम हो पाता हैं।